क्रम. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	नियुक्त पद	रिक्त पद	परिशोधित वेतनमान (तदनुरुप पै बैण्ड एवं ग्रेड पै)
20	कक्षा सह यक सह प्रक्षेपक	01	01	–	पीबी -1 ₹5,200-20,200/- ग्रेड पे ₹1900/-
21	कनिष्ठ कामगार	07	06	01	पीबी -1 ₹5,200-20,200/- ग्रेड पे ₹1900/-
22	सर्जिकल पादुका निर्माता ग्रेड – III	02	01	01	पीबी -1 ₹5,200-20,200/- ग्रेड पे ₹1900/-
23	शल्यशाला तकनीशियन	01	01	–	पीबी -1 ₹5,200-20,200/- ग्रेड पे ₹1900/-
	कुल	**44**	**38**	**06**	

	परिशोधन के पूर्व वेतन मान	परिशोधित पै.बैण्ड एवं ग्रेड पै
समूह – ग	**₹4,500-7,000/-**	पीबी **-1 ₹5,200-20,200/-** ग्रेड पे **₹2800/-**
	₹4,000-6,000/-	पीबी **-1 ₹5,200-20,200/-** ग्रेड पे **₹2400/-**
	₹3,050-4,590/-	पीबी **-1 ₹5,200-20,200/-** ग्रेड पे **₹1900/-**

समूह – घ

छठी वेतन आयोग के सिफारिश के आधार पर समूह घ कर्मियों को समूह ग मल्टि टास्किंग स्टाफ में प्रोन्नत कर ग्रेड पै रु. 1800/- दिया गया।

क्रम. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	नियुक्त पद	रिक्त पद	परिशोधित वेतनमान (तदनुरुप पै बैण्ड एवं ग्रेड पै)
01	विधुत सह पम्प प्रचालक	01	–	01	पीबी -1 ₹5,200-20,200/- ग्रेड पे ₹1800/-
02	विधुत सह जनरेटर प्रचालक	01	01	–	पीबी -1 ₹5,200-20,200/- ग्रेड पे ₹1800/-
03	ड्रेसर	02	02	–	पीबी -1 ₹5,200-20,200/- ग्रेड पे ₹1800/-
04	अर्धकुशल कामगार	01	01	–	पीबी -1 ₹5,200-20,200/- ग्रेड पे ₹1800/-
05	अर्ध कुशल कामगार सह परिचर/चौकीदार	05	05	–	पीबी -1 ₹5,200-20,200/- ग्रेड पे ₹1800/-
06	क्लीनर	01	01	–	पीबी -1 ₹5,200-20,200/- ग्रेड पे ₹1800/-
07	माली	01	–	01	पीबी -1 ₹5,200-20,200/- ग्रेड पे ₹1800/-
08	पुरुष आया	02	02	–	पीबी -1 ₹5,200-20,200/- ग्रेड पे ₹1800/-
09	सफाई कर्मी	09	08	01	पीबी -1 ₹5,200-20,200/- ग्रेड पे ₹1800/-
10	परिचर	03	03	–	पीबी -1 ₹5,200-20,200/- ग्रेड पे ₹1800/-
11	आया	01	01	–	पीबी -1 ₹5,200-20,200/- ग्रेड पे ₹1800/-
12	महिला परिचर	01	–	01	पीबी -1 ₹5,200-20,200/- ग्रेड पे ₹1800/-
13	चौकीदार	02	02	–	पीबी -1 ₹5,200-20,200/- ग्रेड पे ₹1800/-
14	शल्यशाला परिचर	02	02	–	पीबी -1 ₹5,200-20,200/- ग्रेड पे ₹1800/-
	कुल	**32**	**28**	**04**	

समूह – घ	परिशोधन के पूर्व वेतन मान	परिशोधित पै.बैण्ड एवं ग्रेड पै
छठी वेतन आयोग के सिफारिश के अनुसार समूह घ कर्मियों को समूह ग मल्टि टास्किंग स्टाफ में प्रोन्नत कर ग्रेड पै रु. 1800/- दिया गया।	**₹2,650-4,000/-**	पीबी **-1 ₹5,200-20,200/-** ग्रेड पे **₹1800/-**
	₹2,610-3,540/-	
	₹2,550-3,200/-	

नई नियुक्ति:

क्रम. सं.	कर्मी का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
01	डॉ. अशोक दास	निवासी चिकित्सा अधिकारी सह संज्ञाहरक	21-05-2015
02	श्रीमती स्वप्न सामन्त	भौतिक चिकित्सा सहायक	01-06-2015
03	डॉ. शुभोजीत पात्रा	निवासी चिकित्सा अधिकारी	02-06-2015
04	श्री जवदीप दास	उपनिदेशक (प्रशासन)	31-07-2015
05	श्रीमती पल्लवी सहाय	भौतिक चिकित्सा	15-01-2016

सेवा निवृत्ति:

क्रम. सं.	कर्मी का नाम	पदनाम	सेवा निवृत्ति की तिथि
01	डॉ. श्रीलता घोष चौधुरी	व्यावसायिक परामर्शदाता	31-08-2015
02	श्री पुष्पल कुमार मित्रा	प्राध्यापक (भौतिक चिकित्सा)	30-09-2015
03	श्री चित्तरंजन सामन्त	वरिष्ठ भौतिक चिकित्सक सह कनिष्ठ प्राध्यापक (भौ.चि.)	30-11-2015
04	श्री शांतिरंजन चक्रवर्ती	गेस्टेटनर प्रचालक	31-12-2015
05	श्री सुदर्शन चन्द्र हाल्दार	सर्जिकल चादुका निर्माता ग्रेड – III	31-12-2015
06	डॉ. रत्नेश कुमार	निदेशक	31-01-2016
07	श्री अनादिनाथ विशोयी	निदर्शक (प्रोस्थेटिक्स)	31-03-2016

कार्य के दौरान मृत्यु:

क्रम. सं.	कर्मी का नाम	पदनाम	मृत्यु का दिनांक
01	श्री उमाकान्त राम	एम.टी.एस	03-02-2016

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्प संख्यक/दिव्यांगजन का प्रतिनिधित्व

समूह	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.पि.व.	शा.वि.(अ.वि./दृ.वि.)	अ.वि	दृ.वि	अल्प संख्यक
समूह - क	04	02	03	शून्य	शून्य	शून्य	03
समूह - ख	04	01	05	02	शून्य	शून्य	शून्य
समूह - ग	09	02	02	05	01	02	02
समूह - घ	11	–	शून्य	03	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	28	05	10	10	01	02	05

अध्याय XII

क्षेत्रीय केन्द्र

विकलांगजनों की क्षेत्रवार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने तीन केन्द्रों की स्थापना की एक **उत्तराखण्ड के देहरादुन** में क्षेत्रीय अध्याय के रूप में दूसरा **मिजोरम के आयजॉल** एवं तीसरा **अरूणाचलप्रदेश के नहरलगुन** में क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में ।

क्षेत्रीय अध्याय देहरादुन-

प्रस्तावना-

राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान क्षेत्रीय अध्याय देहरादुन, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान परिसर, 116 राजपुर रोड, देहरादुन में वर्ष 1998-99 को स्थापित किया गया । तब से यह क्षे.अ. उत्तराखण्ड राज्य के अस्थि जनित विकलांगजनों को पुनर्वास सेवाऐं प्रदान कर रहा है और विकलांगता एवं पुनर्वास के क्षेत्र में जन शक्ति के विकास एवं प्रशिक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ।

लक्ष्य एवं उद्देश्य-

इस क्षेत्रीय अध्याय का मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य इस प्रकार है –

विकलांगता एवं पुनर्वास के क्षेत्र में जन-शक्ति का विकास एवं प्रशिक्षण आरंभ करना ।

मानसिक मंदता सहित अथवा रहित, अस्थि जनित विकलांगजन हेतु शैक्षिक प्रशिक्षण, कार्यसमायोजन एवं समाज में जीवन निर्वाह हेतु पुनर्वास की सेवाएं प्रदान करना ।

विकलांगजनों को शिक्षण, प्रशिक्षण व पुनर्वास के लिए आवश्यकतानुरूप सहायक अंगों व उपकरणों का निर्माण व वितरण करना ।

ऐसी अन्य सेवाएं देना जो विकलांगजनों के शिक्षा एवं पुनर्वास को प्रोत्साहित करने में उपयुक्त समझा जाए जिसमें सभाओं, संगोष्ठियों व पुनश्चर्या कार्यक्रमों का आयोजन सम्मिलित है उसका क्रियान्वयन करना ।

विकलांगजनों की सेवाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय अभिकरणों के साथ सहयोग करना ।

मानव संसाधन विकास-

इस क्षेत्रीय अध्याय द्वारा निम्नलिखित नियमित दीर्घकालिक पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है -

क्रम. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	संबद्धता	मान्यता	प्रवेश क्षमता	छात्रों की संख्या	टिप्पणी
01	कृत्रिम अंग प्रत्यंग में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	01 वर्ष	राअविसं, कोलकाता	भारतीय पुनर्वास परिषद	30	06	शैक्षिक वर्ष 2014-15 के लिए अनुमोदन दिया गया

अक्टूबर 2015 को आयोजित वार्षिक परिक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या 16
परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या - 06

राअविसं क्षेत्रीय अध्याय देहरादुन के कार्यशाला में
प्रशिक्षणरत कृत्रिम अंग एवं प्रत्यंग प्रमाणपत्र के विद्यार्थी

इस केन्द्र द्वारा प्रदत्त सेवाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है –

सेवाएँ	2015-16
केन्द्र द्वारा प्रदत्त पुनर्वास सेवाएँ	
कुल (नये रोगी + अनुवर्ती सेवाएँ)	5305
नये रोगी	869
अनुवर्ती सेवाएँ	4436
प्रदत्त चिकित्सीय सेवाएँ	4109
अस्थि शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदत्त परामर्शी सेवाएँ	208
कृत्रिम अंग प्रत्यंग इकाई द्वारा लाभान्वितों की संख्या	119
वितरित साधन एवं उपकरण	47
मरम्मत एवं परिशोधित कार्य	34
शिविर द्वारा प्रदत्त पुनर्वास सेवाएँ	
आयोजित सुदूरवर्ती शिविर	02
लाभान्वितों की कुल संख्या	78
वितरित साधन एवं उपकरणों की संख्या	67
प्रशिक्षण एवं विकास	
दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	शैक्षिक वर्ष 2014-15 की कृत्रिम अंग प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
भर्ती हुए छात्रों की संख्या	06
अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	02
प्रतिभागियों की संख्या	175

भौतिक चिकित्सा/व्यावसायिक चिकित्सा इकाई

यह इकाई विकलांगजन को विद्युतीय चिकित्सा, व्यायाम चिकित्सा, विकलांगजन के चलने के लिए गतिशीलता प्रशिक्षण, ए. डी. एल. स्वतंत्र प्रशिक्षण, नए तकनीक द्वारा अनुकूल एवं सहायक उपकरणों का अभिकल्प एवं उसका निर्माण कर चिकित्सीय सेवाएँ मुहैया कराती है ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपना जीवन निर्वाह कर सके । यह इकाई परामर्शी अस्थि शल्य चिकित्सक द्वारा विकलांगजन को अस्थि जनित चिकित्सा

देने के साथ दुसरे अस्पतालों द्वारा भेजे गए उन विकलांगजनों को भी परामर्शी चिकित्सा देती है जिन्हे इसकी सख्त आवश्यकता है । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांगजन के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे कौशल विकास कार्यक्रम, आर्थिक सहायता योजना, छात्रवृत्ति योजना, स्व-सहायता समुह के लिए लघु वित्तीय योजना, स्वैच्छिक एवं मार्गदर्शन जैसी योजनाओं की सूचना भी इस इकाई द्वारा प्रदता की जाती है ।

चालु वर्ष 2015-16 के दौरान पंडित दीन दयाल उपाध्याय विकलांगजन संस्थान के भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, कृत्रिम अंग प्रत्यंग विभाग के 22 इंटर्न विद्यार्थियों ने एक माह की अनिवार्य इंटर्नशिप राअविसं—क्षेत्रीय अध्याय में संपूर्ण किया ।

कृत्रिम अंग–प्रत्यंग इकाई

यह इकाई भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत विकलांगजन को कृत्रिम अंग एवं प्रत्यंग देकर उन्हें गतिशील बनाने में सदैव प्रयासरत है । इस इकाई द्वारा उपयोगकर्ताओं के कृत्रिम अंगों का समय समय पर उपयुक्त संसोधन एवं परिवर्द्धन करने के साथ-साथ कृत्रिम अंगों के पहनने और उतारने की डोनिंग एवं डोफिंग तकनीक, गतिशीलता का प्रशिक्षण जैसी सेवाएं भी दी जाती है।

वर्ष 2015-16 के दौरान वितरित साधन एवं उपकरणों का विवरण

वितरित साधन एवं उपकरण	बहिरंगी विभाग द्वारा वितरित साधन एवं उपकरणों की संख्या	शिविरों द्वारा वितरित साधन एवं उपकरणों की संख्या
तिपहिया	02	13
व्यस्क/बच्चों को वितरित व्हील चेयर	14	07
वैशाखी/क्रोचनी	04	10
छड़ी	02	03
एच.के.ए.एफ.ओ.	04	02
के.ए.एफ.ओ.	–	03
ए.एफ.ओ.	–	03
ए/के. प्रोस्थेसिस	02	01
बी/के प्रोस्थेसिस	08	01
ए/इ. प्रोस्थेसिस	01	–
बी./ई. प्रोस्थेसिस	02	–
कॉस्मेटिक ग्लोव विद ज़िपर	–	03
परिशोधित पादुका	01	–
श्रवण साधन	06	20
रोलटर	01	–
कुल	47	67

शिविर/सुदूरवर्ती सेवा कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण

क्रम. सं.	सुदूरवर्ती सेवा शिविर	दिनांक	स्थान	लाभान्वितों की संख्या
01	शिविर में वितरित	27 अगस्त, 2015	सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, हलद्वानी	लाभान्वित-53 साधन-67
02	निर्धारण चिन्हितकरण शिविर	3दिसम्बर, 2015	संयोजित स्वास्थ्य केन्द्र, रेमनगर, देहरादून	लाभान्वित-25

अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम:

क्रम. सं.	कार्यक्रम का विषय	सहयोगी अभिकरण	दिनांक	स्थान	प्रतिभागियो/ लाभान्वितों की संख्या
01	मस्तिष्क का पक्षाघात यथाशीघ्र पहचान एवं प्रबंधन	संजय अर्थोपेडिक साइन सेन्टर	13 जुन 2015	संजय अर्थोपेडिक साइन सेन्टर	45
02	दिव्यांगजन के लिए सुग्राह जागरुकता कार्यक्रम	रा.अ.नि.सं.-क्षे.अ.	03 दिसम्बर 2015	रा.अ.नि.सं.-क्षे.अ.	130

कर्मचारियों की स्थिति

निदर्शक (व्यावसायिक चिकित्सा)	01
अनुदेशक (कृ.अं.)	01
पाठ्यक्रम समन्वयक	01
भौतिक चिकित्सक	01
लेखाकार	01
परामर्शी अस्थि शल्य चिकित्सक	अंशकालिक
मल्टि टॉस्किंग स्टाफ	01
सफाई कर्मी सह चौकीदर	01

देहरादुन में आयोजित शिविर समाचार पत्र द्वारा प्रशस्ति

विकलांगों को दिए सहायक उपकरण

शिविर में विकलांगों को बांटे उपकरण

क्षेत्रीय केन्द्र आयजॉल

उत्तरपूर्व क्षेत्रीय केन्द्र राअविसं आयजॉल की स्थापना राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, चलतलांग के परिसर में वर्ष 2004 को निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया-

- विकलांगजन को पुनर्वास की सेवाएं देना ।
- जनशक्ति का विकास एवं उसको प्रशिक्षित करना ।
- सहायक उपकरणों का प्रवर्तन, निर्माण एवं वितरण के साथ परामर्शी सेवाऐं देना ।

उत्तरपूर्व क्षेत्रीय केन्द्र-राअविसं आयजॉल में उपलब्ध सुविधाएं-

यह क्षेत्रीय अध्याय कृत्रिम अंग प्रत्यंग, भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, मानसिक मंदता एवं वाक् तथा श्रवण चिकित्सा विभाग से लैस है । यह केन्द्र विकलांगजन को व्यापक पुनर्वासीय सेवाऐं सामुहिक भावना के बल पर मुहैया कराती है, इस सामुहिक दल में जहां एक ओर मेडिकल चिकित्सक, भौतिक चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक, कृत्रिम अंग-प्रत्यंग चिकित्सक वाक एवं श्रवण चिकित्सक जैसे विशेषज्ञ होते है तो वहीं दुसरी ओर वाक् शिक्षक मानसिक मंदता क्षेत्र के पेशेवर भी होते है जिनका कुल उद्देश्य सामान्यतः उत्तरपूर्व क्षेत्र विशेषकर मिजोरम राज्य के जरुरतमंद लोगो को निम्नलिखित पुनर्वास की सेवाएँ देना है-

- विकलांगता का मूल्यांकन, चिकित्सीय मार्गदर्शन एवं शल्य चिकित्सा के लिए संप्रेषण करना।
- एडिप योजना के अंतर्गत सहायक साधन एवं उपकरण जैसे व्हील चेयर, तिपहिया, कैलिपर , बैसाखी, प्रोस्थेसिस उपकरण इत्यादि देना।
- भौतिक चिकित्सीय सेवाऐं जैसे व्यायाम चिकित्सा, यूएस टेन्स, मोम स्नान इत्यादि।
- व्यावसायिक चिकित्सा जैसे विकासात्मक चिकित्सा एडीएस प्रशिक्षण, हस्त चिकित्सा खेल द्वारा चिकित्सा सिलिन्ट, अनुकूलनोयता उपकरण इत्यादि।
- श्रवण की क्षमता की अनुवीक्षणता, ऑडियोग्राम, वाक चिकित्सा इत्यादि।
- परामर्श एवं प्रवृत्ति का संशोधन, मध्यवर्ती हस्तक्षेप जैसी सेवाएं देना।
- दूर दराज के क्षेत्रों में शिविर लगाकर सेवाएं प्रदान करना।

वर्ष के दौरान प्रदत्त सेवाओं का सारांश-

क्रम. सं.	दिव्यांगता का प्रकार	2015-16
1	**अस्थि**	
	नए रोगी	272
	अनुवर्ती रोगी	1146
	कुल	1423
2	**वाक एवं श्रवण**	
	नए रोगी	59
	अनुवर्ती रोगी	36
	कुल	95
3	**दृष्टिबाधितार्थ**	
	नए रोगी	5
	अनुवर्ती रोगी	1
	कुल	6
4	**मानसिक पक्षाघात सह मानसिक दिव्यांगजन**	
	नए रोगी	111
	अनुवर्ती रोगी	316
	कुल	427

बर्हिरोगी विभाग में पंजीकृत नए रोगी की संख्या	**399**
अनुवर्ती	**1303**
कुल	**1702**
बर्हिरोगी विभाग में वितरित साधन एवं उपकरण	**104**
आयोजित शिविरों की संख्या	**5**
शिविरों से लाभान्वितों की संख्या	**389**
शिविर में वितरित साधन एवं उपकरणों की संख्या	**94**
जारी किए गए विकलांगता प्रमाणपत्र की संख्या	**120**

विकलांगजन के लिए आयोजित शिविर –

सचिव, समाज कल्याण विभाग, मिजोरम सरकार की देख-रेख में इस केन्द्र ने स्वास्थ्य विभाग, एससीईआरटी, विद्यालय शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, राज्य कल्याण विभाग, तथा स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से पाँच सुदूर सेवा शिविरों का आयोजन किया। इन शिविरों का चरणबद्ध रुप से आयोजन एक ही स्थान पर सहायक उपकरणों की आपूर्ति करने की संकल्पना से की गई।

क्रम. सं.	राज्य, जिला एवं शिविर के आयोजन का स्थान	आयोजित शिविर का दिनांक	लाभान्वितों की संख्या	जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र की संख्या
1.	टीएनटी परिसर, ज़ुआनगटुई	26/10/2015	60	60
2.	एससीइआरटी	28/10/2015	181	24
3.	पश्चिम पहिलेन	19/01/2016	35	12
4.	तुईपुइबारी	20/01/2016	48	24
5.	समाज कल्याण निदेशालय का सम्मेलन कक्ष	09/02/2016	65	–
		कुल	**389**	**120**

अल्पकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रम:

उ.पू. क्षेत्र के रा.अ.वि.सं. ने वर्ष के दौरान 05 अल्पकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अल्पकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रम से 450 प्रतिभागी लाभान्वित हुए।

कार्यक्रमों की संख्या: 05

प्रतिभागियों की संख्या: 450

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण

क्रम. सं.	दिनांक	कार्यक्रम का नाम	स्थान	प्रतिभागियों की संख्या
1	10/7/15	संस्थानों की वहन क्षमता की वृद्धि पर एक दिवसीय कार्यशाला	समाज कल्याण निदेशालय का सम्मेलन कक्ष लाइपुइतलांग	सर्वशिक्षा अभियान गैर-सरकारी संगठन के कार्यकर्ता एवं आगनवाड़ी के 28 शिक्षक
2	23/10/15	वयोवृद्ध व्यक्तियों द्वारा समस्याओं के सामना करने के प्रबंधन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	एससीइआरटी का सभागार	एनयूपी एवं एमएचपी के 92 वयोवृद्ध व्यक्ति
3	9/2/16	साधन एवं उपकरणों के रखरखाली एवं अनुरक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	समाज कल्याण निदेशालय का सम्मेलन कक्ष, लाइपुइतलांग	91 दिव्यांगजन एवं उनका देख-भाल करने वाले लोग
4	15/2/16	पढ़ाई लिखाई की समस्या से ग्रसित बच्चों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	डीआइइटी का सभागार	डीआईइटी, आयजॉल से 160 सेवापूर्व डीआईइटी के प्रशिक्षणार्थी
5	26/2/16	मानसिक अस्वस्थता जनित लोगों के पुनर्वास पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	एससीइआरटी सभागार	मानसिक अस्वस्थ लोगों की देखभाल करने वाले 79 व्यक्ति

10.07.2016 को आयोजित कार्यशाला में संस्थान के साम्थर्य को बढ़ाने पर भा.पु.प. एण्ड जेडसीसी के अध्यक्ष श्री टोकेन्द्रो लैशराम संबोधित करते हुए

10.07.2016 को आयोजित कार्यशाला मे संस्थान के साम्थर्य को बढ़ाने पर समाज कल्याण निदेशालय, मिजोरम सरकार के सहायक निदेशक श्री पी.चौजिकपुई संबोधित करते हुए

10.07.2016 को आयोजित कार्यशाला में संस्थान के सार्म्थय को बढ़ाने पर प्राध्यापक सह पी.ओ.(ओ.टी.) पूर्वोत्तर क्षे.के.रा.अ.वि.सं. संबोधित करते हुए श्रीमती सरजु मोइरंगथेम

दीर्घकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रम -

पुनर्वास चिकित्सा में डिप्लोमा (डीआरटी) - इस केन्द्र में 2 ½ वर्षीय इस नियमित पाठ्यक्रम का प्रारंभ अगस्त 2010 को हुआ था। जिसे भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त है एवं यह रा.अ.वि.सं. कोलकाता से संबद्ध है। मार्च 2015 को 01 छात्र ने यह पाठ्यक्रम समाप्त किया। वर्तमान में कुल 04 छात्र पढ़ रहे है।

वर्ष के दौरान इस केन्द्र की अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप:

1. अन्य संस्थानों को समर्थन:

   आइईडीएसएस के अधीन शिक्षकों हेतु चार दिवसीय कार्यक्रम के आयोजनार्थ उत्तरपूर्व-क्षे.के. ने सक्रीय रुप से एससीइआरटी को सहयोग एवं समर्थन दिया। यह कार्यक्रम एससीइआरटी द्वारा दिनांक 28 जुलाई 2015 से 31 जुलाई 2015 तक एससीईआरटी में आयोजित किया गया था।

   दिनांक 12 मई 2015 को आयोजित डीएचएमइ के सम्मेलन कक्ष की समीक्षा सभा मे इस क्षे.के. ने तकनीकी सहायता एवं सहयोग दिया।

2. **अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस समारोह का पालन:**

   उ.पू.क्षे.के रा.अ.वि.सं. ने निम्नलित विभागों एवं संगठनों के संयुक्त सहयोग से रान्हलतुन स्टेडियम-आयज़ॉल में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का संचालन किया -

- जिलोइ स्पेशल स्कूल
- सामैरीटन एसोसिएशन फॉर दी ब्लाइन्ड
- डीफरेन्टली एबेल्ड सोसाइटी
- थुतक नूनपुइटू टीम
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा निदेशालय
- सर्व शिक्षा अभियान
- आरएमएसए
- समाज कल्याण विभाग, मिजोरम सरकार

3. **अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस समारोह के आयोजन में उ.पू.क्षे.के रा.अ.वि.सं. ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई।**

इस समारोह के दौरान आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे माननीय मंत्री श्री पी.सी.लालथनलियाना, समाज कल्याण मंत्रालय और अध्यक्षा थी श्रीमती बी.सइरेंगपुई, आयुक्त विकलांगजन। इस कार्यक्रम में उ.पू.क्षे.के रा.अ.वि.सं. द्वारा व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, मानसिक मंदता ग्रस्त विकलांगजन को टीएलएम कीट्स वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में 500 से अधिक लोग शामिल हुए थे।

4. तकनीकी सहयोग: उत्तरपूर्व क्षेत्रीय केन्द्र चलतलांग आयज़ॉल ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को तकनीकी सहायता प्रदान किया।

5. सामान्य प्रवेश परीक्षा - 2015 का संचालन: इस केन्द्र के कर्मचारी आयज़ॉल केन्द्र में आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा 2015 रा.अ.वि.सं. के संचालन में शामिल थे।

कर्मचारियों की स्थिति

स्वीकृत 13 पदों में से केन्द्र की आवश्यकतानुरुप निम्नलिखित कर्मचारी (31.03.2016) तक कार्यरत हैं -

क्रम. सं.	पद का नाम	वर्ग
1.	प्रभारी अधिकारी	साधारण
2.	प्राध्यापक सह पीओ (व्या. चि.)	अन्य पिछड़ा वर्ग
3.	भौतिक चिकित्सक	अन्य पिछड़ा वर्ग
4.	भौतिक चिकित्सक	अनुसूचित जनजाति
5.	कार्यालय सहायक	अनुसूचित जनजाति
6.	अर्ध कुशल कामगार	अन्य पिछड़ा वर्ग

टिप्पणी : शल्य चिकित्सक (अस्थि), ननों चिकित्सक, नेत्र चिकित्सक को सत्र आधार पर नियुक्त किया गया है

क्षेत्रीय केन्द्र-नहरलगून, अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश के नहर लगुन में रा.अ.वि.सं. के अधीन क्षेत्रीय केन्द्र ने तीन कर्मचारियों यथा लेखाकार, भौतिक चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक को लेकर अपना कार्य प्रारंभ किया। इन कर्मचारियों को रा.अ.वि.सं. कोलकाता के विभिन्न विभागों एवं अनुभागों में द्वि साप्ताहिक प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष के दौरान इस केन्द्र द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए -

1. **सुग्राह्य कार्यक्रम** दिनांक 07.03.2016 को इटानगर में दिव्यांगजन के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकर्त्ताओं के लिए दिव्यांगजन हेतु कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
2. **अभिविन्यास कार्यक्रम** दिनांक 08.03.2016 को नहरलगुन अरुणाचल प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान एवं गैर-सरकारी संगठन के कार्यकर्त्ताओं के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

रा.अ.वि.सं. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (रा.ता.वि.नि.) प्रतिष्ठान (एन.एफ.एन.डी.आर.सी.)

एनएफएनआरडीसी की स्थापना रा.अ.वि.सं. कोलकाता एवं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम परियोजना के निकटवर्ती स्थानों में रहने वाले अस्थि जनित दिव्यांगजनों के जीवन में सार्थक बदलाव लाने के उद्देश्य से किया गया।

इस पहल का सूत्रपात राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम प्रतिष्ठान के संरक्षण में हुआ, रा.अ.वि.सं. जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्र (एनएफआरडीसी) ताप विद्युत परियोजना के निकटवर्ती लोगों को पुनर्वास की सेवाऐं देती है यथा चिकित्सीय अंत:क्षेप, शल्य चिकित्सा द्वारा सुधार एवं एडिप योजना के अंतर्गत कृत्रिम साधनों व उपकरणों का वितरण, शल्य क्रिया द्वारा पूर्वावस्था, श्रवण परीक्षण सेवाऐं इत्यादि।

ताप विद्युत निगम परियोजना के निकटवर्ती स्थानों में रहने वाले अस्थि जनित दिव्यांगजनों को पुर्नवास की सेवाऐं देने के उद्देश्य से देश के विभिन्न राज्यों में पाँच एनएफआरडीसी स्थापित की गई है यथा रा.ता.वि.नि. -टांडा (उत्तरप्रदेश), रिहंद (उत्तरप्रदेश), दादरी (उत्तरप्रदेश), कोरबा (छत्तीसगढ़), एवं बोंगाइगांव (असम)

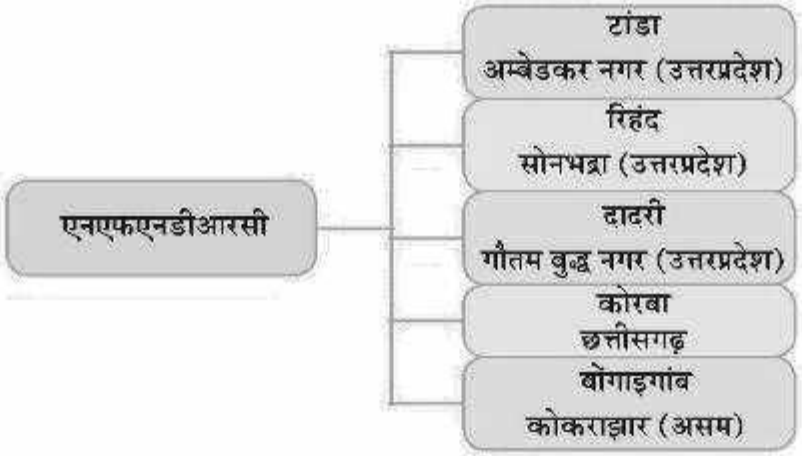

एनएफएनडीआरसी केन्द्र की पुनर्वास सेवाओं एवं कार्यात्मकता के मूल्यांकन के लिए राअविसं के कर्मीसमूह द्वारा इन केन्द्रों का दौरा एवं विकलांगजन पुनर्वास वितरण प्रणाली के विभिन्न स्तरों के बेहतरी के लिए समयानुसार व्यावहारिक अंत:क्षेप किया जाता है।

नाम एवं पता-	राज्य
● टांडा तापविद्युत पावर स्टेशन डाकघर-विद्युत नगर, जिला-अम्बेदकरनगर-224238	उत्तर प्रदेश
● कोरबा सुपर ताप विद्युत पावर स्टेशन डाकघर-विकास भवन, जमनीपाल, जिला- कोरबा	छत्तीसगढ़
● राष्ट्रीय कैपिटल तापविद्युत पावर परियोजना, दादरी डाकघर-विद्युतनगर, जिला गौतमबुद्धनगर-201008	उत्तर प्रदेश
● रिहन्द सुपर तापविद्युत पावर परियोजना डाकघर-रिहन्दनगर, जिला-सोनभद्रा-231223	उत्तर प्रदेश
● रातावियानि, बोंगाइगाँव, डाकघर-सालाकाटी(पी) जिला-कोकराझार(बीटीएडी)-783369	असम

अध्याय XIII

संयोजित क्षेत्रीय केन्द्र (सीआरसी), पटना

1. एक अवलोकन

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांग व्यक्तियों की आबादी 2.68 करोड़ है, जो कि देश की कुल आबादी का 2.21% है,इसी जनगणना के अनुसार बिहार में विकलांग व्यक्तियों की कुल जनसंख्या 23.31 लाख है जो कि देश की कुल विकलांग जनसंख्या का 8.69% है और राज्य की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ का 2.23% ।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और बिहार राज्य में विकलांग व्यक्तियों की आबादी की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार से है-

लाख में

विकलांगता के प्रकार	अखिल भारतीय जनसंख्या	प्रतिशत	बिहार	प्रतिशत
दृष्टि बाधित	50	18.8	5.49	24
श्रवण बाधित	50	18.9	5.72	24
वाक बाधित	19	7.5	1.70	7
गतिशीलता	54	20.3	3.69	16
मानसिक मंदता	15	5.6	0.89	4
मानसिक रोग	7	2.7	0.37	2
बहु विकलांगता	49	7.9	4.31	18
अन्य	21	18.4	1.10	5
कुल	268	100	23.31	100

2. परिचय

संयोजित क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र की स्थापना वर्ष 2009 को त्व के नि:शक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान ,कोलकाता के प्रशासनिक नियंत्रण धीन में की गई । सी.आर.सी सभी प्रकार के विकलांगजनों के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान और सेवाओं जैसी त्रिखण्डीय कार्यों में कार्यरत एक शीर्ष संस्थान है ।

3. सीआरसी पटना का उद्देश्य

सीआरसी पटना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :

1. पुनर्वास और विकलांग व्यक्तियों के विशेष शिक्षा के संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना ।
2. दिव्यांगजन को सेवा देने के उद्देश्य से पुनर्वास पेशेवरों, ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं, बहुविध-पुनर्वास कार्यकर्ताओं, सरकार के पदाधिकारियों एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन का विकास करना ।
3. माता-पिता और समाज में जागरूकता के सृजन के लिए सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करना।
4. साधनों एवं उपकरणों का डिजाइन, उसका निर्माण और निर्धारण करना।
5. समाज में रोजगार, पुनर्वास, गतिशीलता, संचार मनोरंजन और एकीकरण के अवसरों में वृद्धि के लिए अग्रणी शिक्षा और कौशल विकास की सेवाओं का प्रारंभ करना ।
6. प्रदेश में विकलांगता की गंभीरता पर अनुसंधानात्मक कार्य करना ।
7. प्रदेश की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए पुनर्वास की सेवाओं के वितरण के लिए रणनीति को विकसित करना ।
8. स्वैच्छिक संगठनों, माता पिता के समूहों और स्व-सहायता समूहों के लिए पुनर्वास की सेवाओं के विकास को प्रोत्साहित करना।
9. उपलब्ध मेडिकल, शैक्षणिक एवं रोजगार सेवाओं में सामंजस्य स्थापित करना, समुदाय आधारित पुनर्वास की नीतियों का अनुपालन करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा को विस्तार करना ।

4. सीआरसी भवन का निर्माण

बिहार सरकार ने फरवरी 2009 को इंदिरा गाँधी इंस्टीटीयुट ऑफ मेडिकल साइंस के परिसर में 3.31 एकड़ भूमि संयोजित क्षेत्रीय केन्द्र को पट्टे पर आवंटित की, जिसे संस्थान ने अधिग्रहण कर भवन एवं चार दिवारी निर्माण का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया । मंत्रालयय ने इस शीर्ष में रू 14.59 लाख अनुमोदन किया एवं 3.64 लाख रूपए सीआरसी पटना को प्राप्त हुई तथा इस केन्द्र ने निर्माण हेतु केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग पटना को 3.60 लाख रूपया अंतरण कर दिया ।

5. माननीय केन्द्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार श्री थावर चंद गेहलोत एवं श्री कृष्ण पाल गुर्जर माननीय राज्य मंत्री, नि:शक्तता अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का आगमन ।

श्री थावर चंद गेहलोत, माननीय केन्द्रीय मंत्री एवं श्री कृष्ण पाल गुर्जर माननीय राज्य मंत्री, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार, का 17.08.2015 को सीआरसी भवन के निर्माण स्थल पर भूमि पूजन कार्यक्रम हेतु आगमन हुआ । मंत्रियों के आगमन के दौरान एक वितरण सेवा शिविर का आयोजन भी किया गया जिसमें विकलांगजन को सहायक साधन एवं उपकरण वितरित किए गए। माननीय केन्द्रीय मंत्री ने उपस्थित विकलांगजनों, कर्मियों एवं आगन्तुकजनों को संबोधित किया उन्होंने विकलांगजनों के लिए किये गये कार्य को प्रोत्साहित किया एवं अपनी हार्दिक शुभकामनायें दी ।

भूमि पूजन के दौरान माननीय केन्द्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय श्री थावर चंद गेहलोत के साथ अन्य गणमान्यजन

एडिप शिविर के दौरान माननीय केन्द्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री थावर चंद गेहलोत द्वारा सहायक अंगों एवं उपअंगों का वितरण

माननीय केन्द्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री थावर चंद गेहलोत द्वारा मेगा शिविर का उद्घाटन

सीआरसी पटना में मेगा वितरण शिविर

6. विकलांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान की गई

(6.1) वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सीआरसी पटना के बाह्य रोगीजन सेवा विभाग द्वारा प्रदान की गई सेवाएं

	कुल रोगीजनों की संख्या		लिंग		आय		आयु वर्ग			जाति			
	नये	अनुवर्ती	पु.	महिला	<6500	6501 एवं इससे अधिक	0-6 वर्ष	7-18 वर्ष	19 एवं इससे अधिक	सा.	अ.सु.ज	अ.सु.ज.जा.	अ.पि.व.
कुल	2888	1036	2083	805	520	2368	236	1129	1523	564	354	09	1961

लिंग के अनुसार वितरण

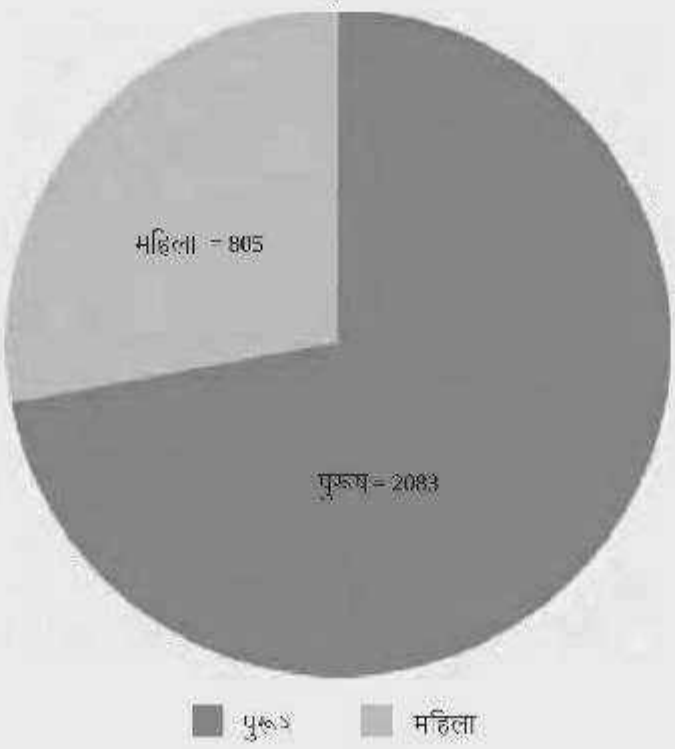

आय के अनुसार रोगीजन का वितरण

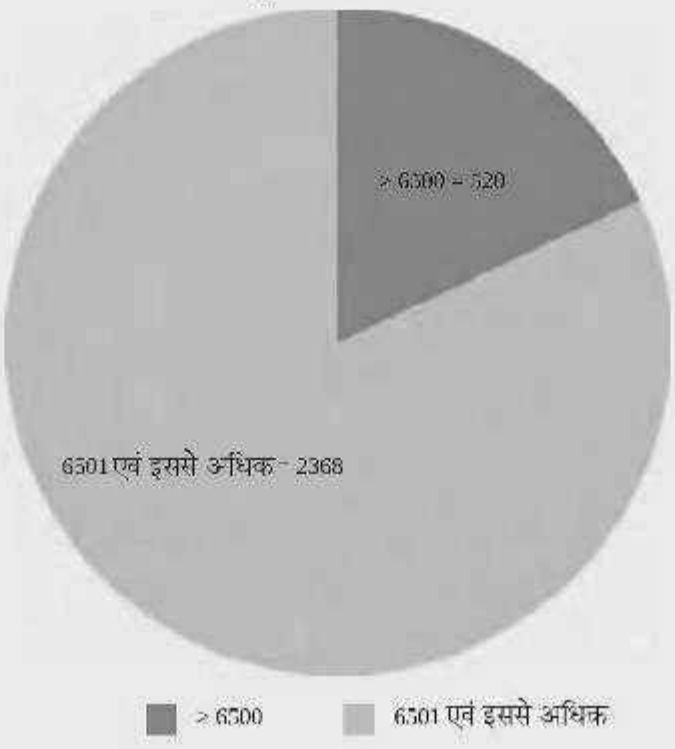

उम्र के अनुसार रोगीजनों का वितरण

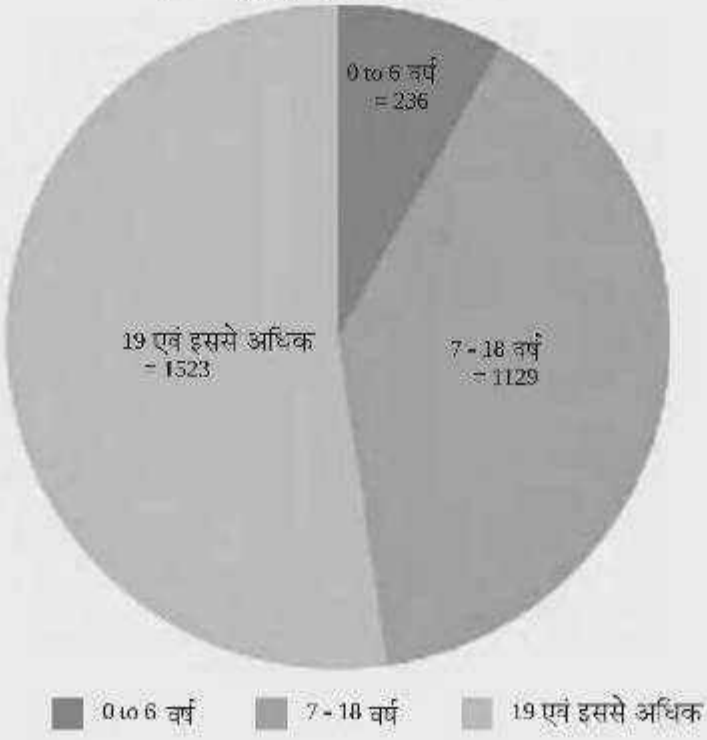

रोगीजन का जातिगत वितरण

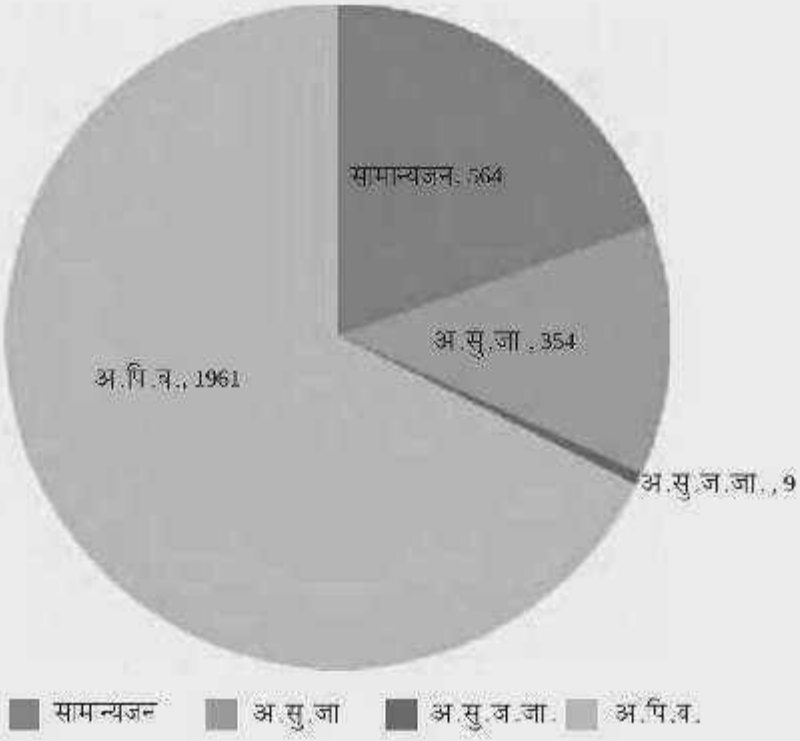

सीआरसी पटना द्वारा विकलांगजनों को दी गई माहवार पुनर्वास सेवाएं

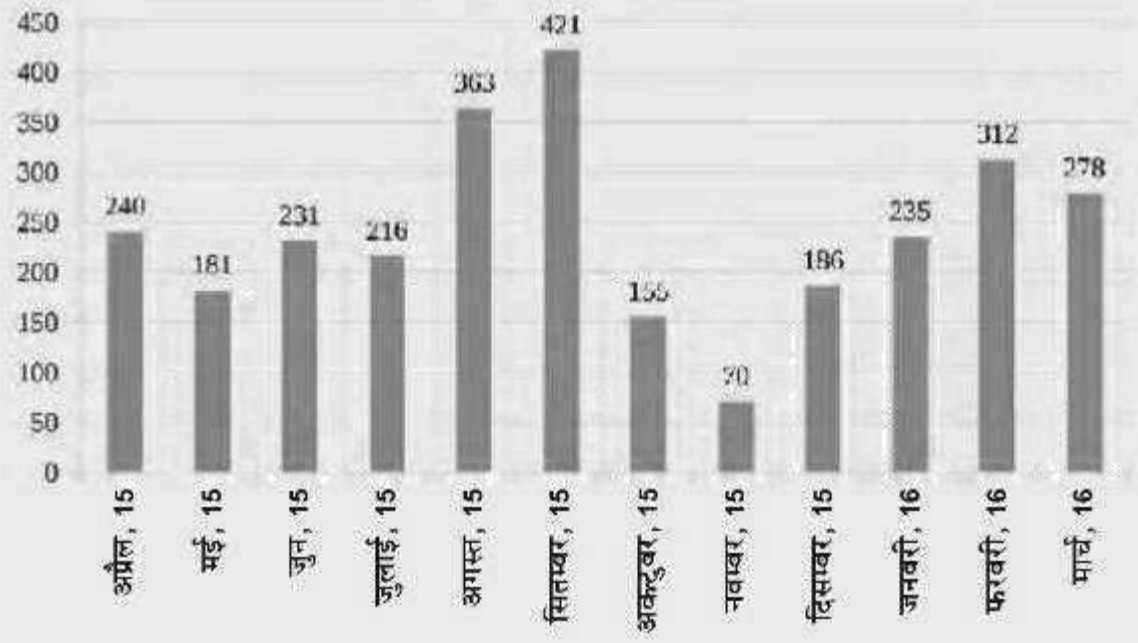

(6.2) वितीय वर्ष 2015-16 के दौरान सीआरसी पटना द्वारा विभागीय बाह्यरोगी विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाएं

	क्लिनिकल मनोविज्ञान	वाक् एवं श्रवण	विशेष शिक्षा	भौतिक चिकित्सा	व्यावसायिक चिकित्सा	कृत्रिम अंग एवं प्रत्यंग	अभिविन्यास एवं गतिशीलता	सामाजिक आर्थिक पुनर्वास
कुल	2249	2804	1754	1761	1134	777	339	270

विकलांगजनों को प्रदत्त विभागीय पुनर्वास सेवाएं

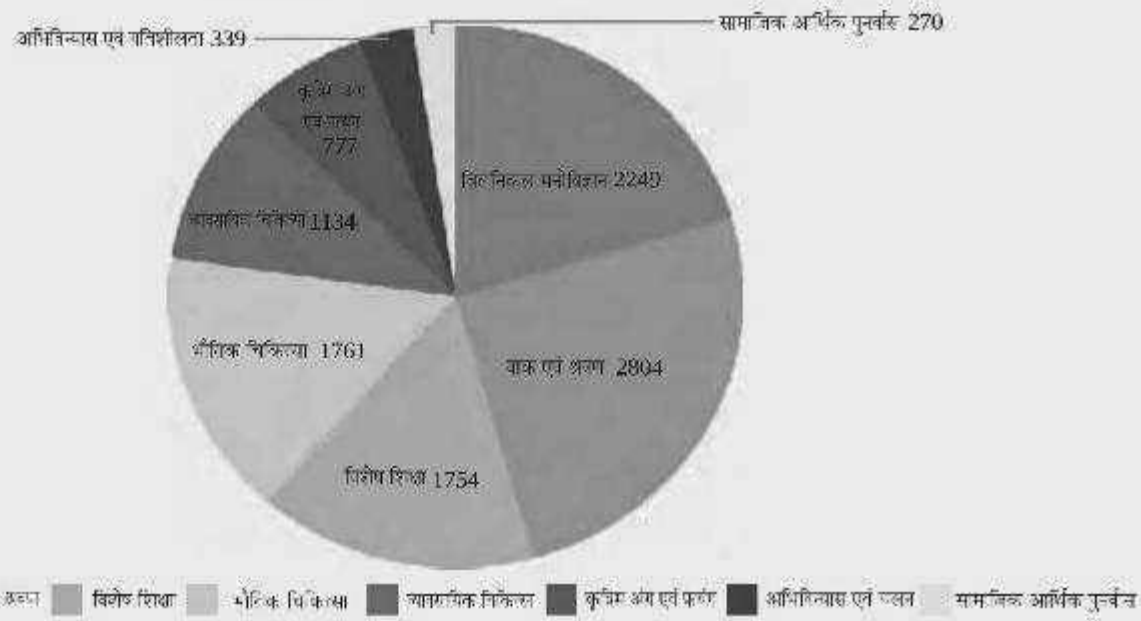

(6.3) जिलावार रोगीजनों का वितरण

जिला का नाम	कुल
अरवल	28
औरंगाबाद	49
अररिया	03
भोजपुर	254
बेगुसराय	06
भागलपुर	22
बक्सर	223
बांका	02
बेतिया	07
छपरा	73
दरभंगा	16
गया	21
गोपालगंज	30
जमुई	07
जहानाबाद	157
खगड़िया	07
कटिहार	02
कैमुर	01
लक्खीसराय	10
मुंगेर	25
मुजफ्फरपुर	85
नोतीहारी	11
मधुबनी	09
नालन्दा	62
नवादा	21
पटना	1097
पुर्णिया	03
रोहतास	323
सीतामढ़ी	25
सिवान	15
सुपौल	168
सहरसा	08
समस्तीपुर	18
शेखपुरा	05
शिवहर	01
सोनभद्र	01
वैशाली	90
बिहार के बाहर	03
कुल	**2888**

2014-15 में 6 जिले जहाँ से सीआरसी पटना में लाभान्वित जन का आगमन हुआ

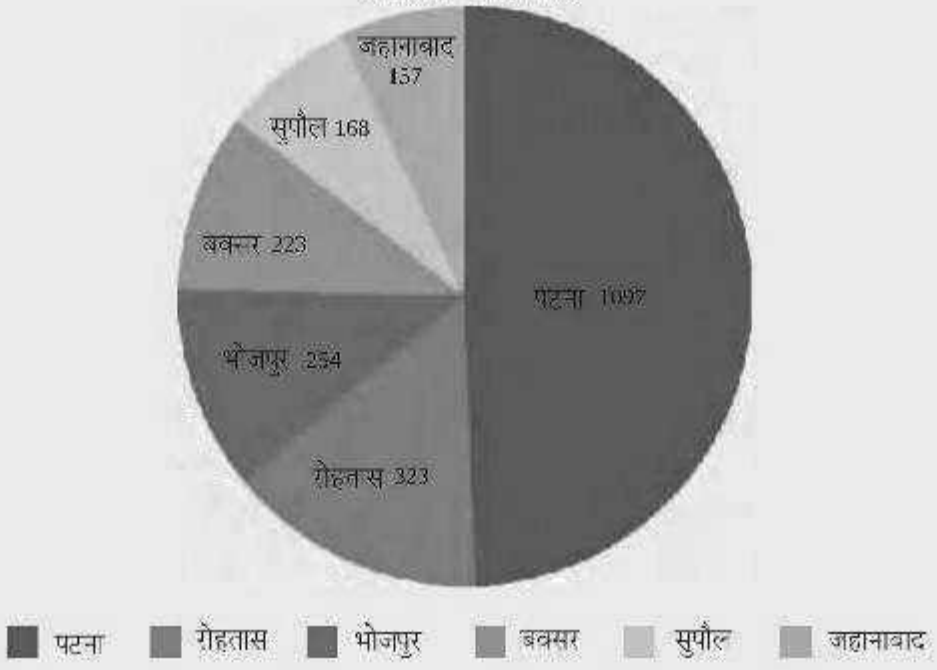

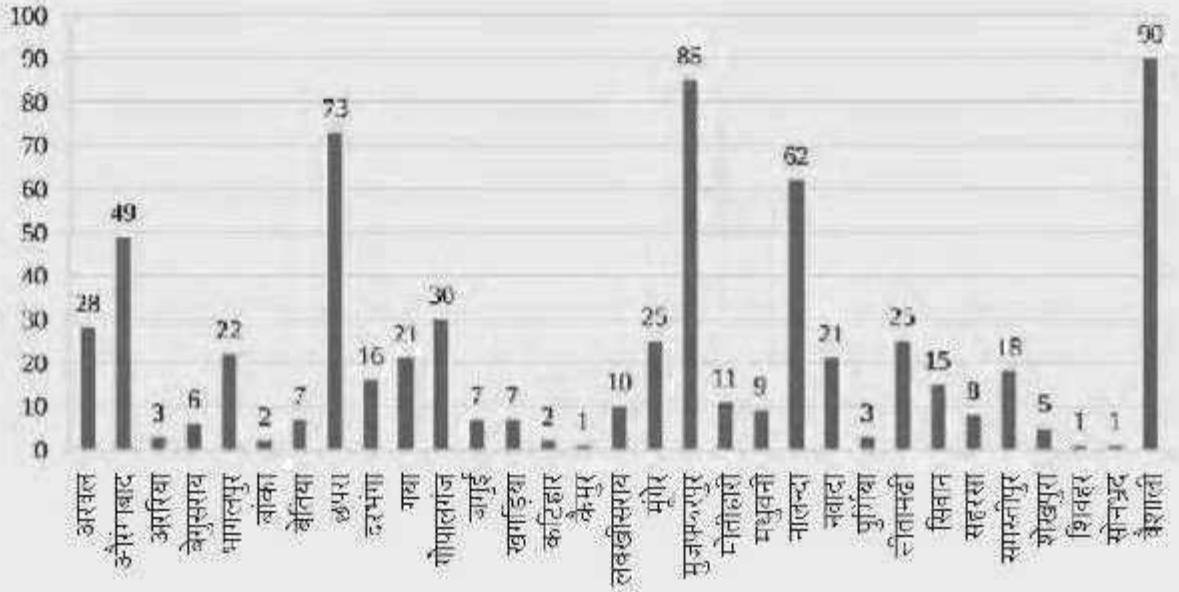

(6.4) सीआरसी पटना में आये विकलांगजनों के प्रकार

विकलांगता के प्रकार	अप्रैल 2015	मई 2015	जुन 2015	जुलाई 2015	अगस्त 2015	सितम्बर 2015	अक्टूबर 2015	नवम्बर 2015	दिसम्बर 2015	जनवरी 2016	फरवरी 2016	मार्च 2016	कुल
मानसिक विकलांगता	101	74	94	87	145	125	70	31	74	75	124	124	1124
अस्थिजनित विकलांगता (ला.चि./कृ.अंग/ भौ.चि.)	44 (2+ 18+ 24)	22 (2+ 11+ 9)	51 (12+ 24+ 15)	53 (8+ 33+ 12)	115 (11+ 90+ 14)	166 (10+ 145+ 11)	47 (5+ 34+ 8)	16 (4+ 8+ 4)	36 (5+ 24+ 7)	46 (7+ 26+ 13)	43 (9+ 24+ 10)	43 (9+ 24+ 10)	682
वाक श्रवण विकलांगता	90	73	84	71	100	125	37	23	72	109	104	104	992
दृष्टि बाधितार्थ	05	12	02	04	03	04	0	0	02	0	05	03	40
कुल	240	181	231	215	363	420	154	70	184	230	276	276	2888

(6.5) सीआरसी पटना द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की कुल संख्या

अप्रैल 2015	मई 2015	जुन 2015	जुलाई 2015	अगस्त 2015	सितम्बर 2015	अक्टूबर 2015	नवम्बर 2015	दिसम्बर 2015	जनवरी 2016	फरवरी 2016	मार्च 2016.	कुल
1977	1286	1366	985	1221	1215	772	657	956	1661	1892	1816	15804

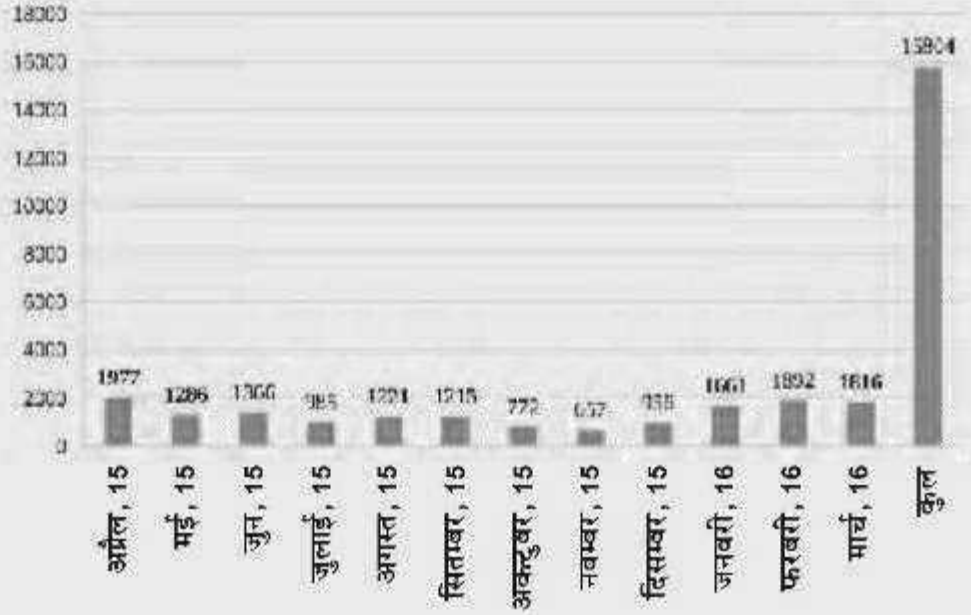

7. मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

(7.अ) दीर्घकालीन पाठ्यक्रम

क्रम. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	प्रवेश क्षमता	छात्रों का नामांकन	अ.सु.जा./असुजजा/ अपिव/ सा.
1	श्रवण भाषा एवं वाक् में डिप्लोम (डी एच्एलएस) 2010	1 वर्ष	30	08	सा = 04 अपिव = 04
2	पुनर्वास चिकित्सा (डीआरटी) में डिप्लोम	2 ½ वर्ष	25	03 (2014-16) शून्य (2015-17)	असुजा = 0 अनुजजा = 0 अपिव = 02 सा = 01
3	सर्टिफिकेट कोर्स में प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक -2012	1 वर्ष	25	01	अपिव (अ. वि) - 1
4	श्रवण बाधितार्थ विशेष शिक्षा में डिप्लोमा	2 वर्ष	25	23	असुजा = 02 अपिव = 19 सा = 02
5	दृष्टि बाधितार्थ विशेष शिक्षा में डिप्लोमा	2 वर्ष	30	24	असुजा = 01 अनुजजा = 0 अपिव = 17 सा = 06
		कुल	125	59	असुजा = 03 अनुजजा = 0 अपिव = 43 सा = 13

(7.आ) अल्पकालीन पाठ्यक्रम

क्रम. सं.	सतत पुनर्वास शिक्षा का विषय	अवधि एवं दिनांक	लक्षित समूह	प्रतिभागियों की संख्या	अजा/ अजजा/ अपिव/सा की संख्या
1	भाषा का उच्चारण एवं ग्राह्यता का शीघ्र अंत:क्षेप एवं विकास के विकल्प के रुप में अरलिज्न (सन्दर्भ श्रवण बाधितार्थ बच्चे- जन्म से 5 वर्ष तक)	3 दिन 6 से 8 जनवरी 2016	शीघ्र अंत:क्षेप केन्द्र के शिक्षक	40	असुजा = 01 असुजजा = 0 अपिव = 22 सा = 17
2	अभिविन्यास एवं गतिशीलता के कौशल पर अग्रिम श्रेणी का प्रशिक्षण (संदर्भ दृष्टि बाधितार्थ बच्चों की शिक्षा)	3 दिन 28 से 30 दिसम्बर 2015	दृष्टि बाधितार्थ के विशेष शिक्षक	40	अपिव = 14 असुजा = 04 असुजजा = 01 सा = 21
3	श्रवण बाधितार्थ के शीर्ष अंत:क्षेप हेतु जाँच प्रक्रिया पर कार्यशाला (संदर्भ आडियोलॉजी एण्ड स्पीच लैंग्वैज पेथोलॉजी)	3 दिन 11 से 13 जनवरी 2016	विशेष शिक्षा के शिक्षक, स्पीच एवं भषा चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता	35	असुजा = 01 अपिव = 26 सा = 08
4	गृह एवं कक्षा में आचरण संबंधी प्रबंधन (संदर्भ मानसिक मंदता से ग्रस्त बच्चों का शीर्ष अंत:क्षेप)	3 दिन 18 से 20 जनवरी 2016	विशिष्ट शिक्षक , चिकित्सक,पुनर्वास सामाजिक कार्यकर्ता,	19	असुजा = 0 असुजजा = 0 अपिव = 09 सा = 10
5	आत्मनिर्भरता कार्यक्रम में विकलांगजनों का समावेशन (संदर्भ अस्थिजनित बच्चे सेरीब्रल पल्सी/बहुविकलांगता)	3 दिन 27 से 29 जनवरी 2016	विशिष्ट शिक्षक, पुनर्वास सामाजिक कार्यकर्ता, मनो चिकित्सक, चिकित्सक,	38	सा = 19 अपिव = 18 असुजा = 01 असुजजा = 0
6	विषय शिक्षण (संदर्भ श्रवण बाधितार्थ बच्चों की शिक्षा)	3 दिन 10 से 12 जनवरी 2016	विशिष्ट शिक्षक, पुनर्वास सामाजिक कार्यकर्ता	39	असुजा = 03 असुजजा = 0 अपिव = 19 सा = 17
7	व्यवहार आधारित साक्ष्य (संदर्भ- अस्थिजनित बच्चे सेरीब्रल पल्सी/ बहुविकलांगता)	3 दिन 17 से 19 फरवरी 2016	विशिष्ट शिक्षक, चिकित्सक,पुनर्वास सामाजिक कार्यकर्ता, मनो चिकित्सक, प्रोस्थेटिक व आर्थोटिक्स	40	असुजा = 04 असुजजा = 0 अपिव = 20 सा = 16
8	अनुकूलन सहगामी क्रिया (संदर्भ श्रवण बाधितार्थ बच्चों की शिक्षा)	3 दिन 24 से 26 फरवरी 2016	श्रवण बाधितार्थ बच्चों के विद्यालय एवं समावेशी विद्यालय के शिक्षक	40	असुजा = 0 असुजजा = 0 अपिव = 22 सा = 18

क्रम. सं.	सतत पुनर्वास शिक्षा का विषय	अवधि एवं दिनांक	लक्षित समूह	प्रतिभागियों की संख्या	अजा/ अजजा/ अपिव/सा की संख्या
9	विकलांगता पुनर्वास में शोध	3 दिन 9 से 11 मार्च 2016	सेशल एडुकेटर, चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, मनो-चिकित्सक,	40	असुजा = 03 अपिव = 22 सा = 15
10	विकलांगता एवं संचार (संदर्भ विकलांगता से संबंधित तथ्य)	3 दिन 28 से 30 मार्च 2016	पुनर्वास सामाजिक कार्यकर्ता, मनो-चिकित्सक,	40	असुजा = 03 असुजजा = 0 अपिव = 20 सा = 17
			कुल	371	

7.1 अभिन्यास एवं गतिशीलता के कौशल पर अग्रिम स्तरीय सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम

इस सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन रेडक्रॉस भवन, पटना के सभागार में दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2015 को किया गया जिसका उद्घाटन बिहार राज्य के एनएवी शाखा की अध्यक्षा श्रीमती लिली एवं समन्वयन श्री जीतेन्द्र सिंह रावत ने किया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य वे विशिष्ट शिक्षक है जिन्होंने दृष्टिबाधितार्थ पर विशेषज्ञता अर्जन किया है। इस कार्यक्रम में कुल 40 विशिष्ट शिक्षकों ने अपना नाम पंजिकृत कराया।

अभिन्यास एवं गतिशीलता के कौशल पर अग्रिम स्तरीय सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम का उदघाटन

अभिन्यास एवं गतिशीलता के कौशल पर सतत पुनर्वास शिक्षा आधारित अग्रिम स्तर का प्रशिक्षण

अभिविन्यास एवं गतिशीलता कौशल पर सतत पुनर्वास शिक्षा आधारित अग्रिम स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम

7.2 श्रवण दिव्यांगता की शीध्र पहचान की प्रक्रिया पर सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिनांक - 11-13 जनवरी 2016 को दीप प्रज्जवलन के साथ हुआ। इस अवसर पर डॉ जवाहर लाल साह, वरिष्ठ आडियोलॉजिस्ट रेडक्रॉस पटना, श्री धनंजय कुमार, ऑडियोलॉजिस्ट (सर्व शिक्षा अभियान, पटना), श्री श्याम सुन्दर मिश्रा, प्रवक्ता एवं प्रभारी सी. आर. सी. पटना, डॉ. आशुतोष कुमार (क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक) एवं श्री पिंटु कुमार उपस्थित थे। इस सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम में विभिन्न गुट्टो से संबंधित विषयों को व्याख्यायित किया गया जो वर्तमान परिदृश्य में श्रवण बाधितजनों के लिए आवश्यक था। इस कार्यशाला में श्रवण बाधितार्थ की शीघ्र पहचान की प्रक्रिया पर प्रतिभागियों ने अपनी गहरी अभिरुची दिखाई। कार्यशाला के अंतिम दिन रेड क्रॉस के निदेशक महोदय श्री आर. बी. पी. यादव ने समापन सम्भाषण दिया।

श्रवण दिव्यांगता की शीध्र पहचान की प्रक्रिया कार्यक्रम का उद्घाटन

7.3 मानसिक मंदता बच्चों हेतु घर एवं कक्षा में आचरण के प्रबंधन पर सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम

रेडक्रॉस भवन, पटना के सभागार में यह सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम दिनांक 18-20 जनवरी 2016 को आयोजित किया गया जिसका समन्वयन डॉ. आशुतोष कुमार ने किया। इस कार्यक्रम के लक्षित समूह विशेष शिक्षा के शिक्षक तथा एवं भाषा चिकित्सक एवं सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 40 प्रतिभागीजन ने अपना नाम पंजीकृत किया जिसमें अधिसंख्यक अनुपस्थित थे। पुरे कार्यक्रम के दौरान 19 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिन प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र दिया गया उनमें 09 अन्य पिछड़ा वर्ग, 10 सामान्य वर्ग से थे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वर्गों से कोई भी प्रतिभागी ने अपना नाम पंजीकृत नहीं कराया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रुप से डॉ. सरोज दुबे, विश्वविद्यालय प्रोफेसर एवं निदेशक, इंस्टिच्यूट ऑफ साइकलोजीकल शोध एवं सेवायें, पटना विश्वविद्यालय पटना एवं डॉ. मनोरंजना प्रसाद, क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक एवं परामर्शक पटना

मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पीटल से सेवा निवृत द्वारा किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन के पश्चात डॉ. दूबे ने मानसिक मंदता एवं बहुविध दिव्यांगता से ग्रस्त बच्चों के आचरण के समस्याओं के उजागर पर एक तकनीकी सत्र का संचालन किया । डॉ. मनोरंजना प्रसाद ने भी कुशल व्यवहार,समस्यामूलक व्यवहार एवं व्यवहार के कार्यात्मकता के विशलेषण पर एक तकनीकी सत्र का संचालन किया ।

डॉ. सरोज दूबे, विश्वविद्यालय प्रोफेसर एवं निदेशक,
इंस्टिच्यूट ऑफ साइक्लोजिकल शोध एवं सेवायें पटना, विश्वविद्यालय, द्वारा उद्घाटन

7.4 सेरिब्रल पाल्सी एवं बहु दिव्यांगता से ग्रस्त बच्चों के सन्दर्भ में एवं दिव्यांगजन को आत्म निर्भर बनाने की सुनिश्चितता के समावेशन पर सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम

विशेष शिक्षकों, पुनर्वास चिकित्सको, समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्ताओं एवं मनोवैज्ञानिकों हेतु सीआरसी पटना में दिनांक 27 से 29 जनवरी 2016 को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पटना मेडिकल कॉलेज के फिजिकल मेडिसीन एवं रिहैबिलिटेशन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ अजित कुमार वर्मा ने किया ,इस तीन दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विषयों से पुनर्वास विशेषज्ञों द्वारा कुल 10 विषयों पर चर्चा की गई । कुल 40 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में अपना नाम नामांकित किया जिसमें 38 प्रतिभागी निमंत्रित रूप से इस तीन दिवसीय कार्यक्रम के सभी सत्र में उपस्थित थे । इन 38 प्रतिभागियों को प्रतिभागिता का प्रमाण पत्र एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन स्काइरल वाइंड की गई स्त्रोत सामग्री प्रदान की गई।

दिव्यांगजन को आत्म निर्भर बनाने की सुनिश्चितता के समावेशन पर सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम का उद्घाटन

विकलांगजन के स्वतंत्र जीवन यापन की सुनिश्चितता एवं
समावेशन विषयक कार्यक्रम में सतत पुनर्वास शिक्षा के प्रतिभागीजन

विकलांगजन के स्वतंत्र जीवन यापन की सुनिश्चितता एवं
समावेशन विषयक कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र

विकलांगजन के स्वतंत्र जीवन यापन की सुनिश्चितता एवं
समावेशन विषयक कार्यक्रम का समापन सत्र

7.ख.2 अभिभावक हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम. सं.	अभिभावक हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	अवधि एवं दिनांक	स्थान	लक्षित समूह	प्रतिभागियों की संख्या	अजा/अजजा/अपिव/सा की संख्या
1	मानसिक मंदता एवं तदजनित रोग से ग्रस्त बच्चो के अभिभावक हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	17.07.15	आइएमए का सभागार पटना	विकलांगजन एवं मानसिक मंद बच्चे	45	असुजा : 01 असुजजा : 0 अपिव : 25 सा : 19
2	अभिविन्यास एवं गतिशीलता विषय पर अभिभावक हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	15.10.15	रेडक्रॉस भवन का सभागार/सीआरसी पटना	विकलांगजन एवं दृष्टि बाधितजन के अभिभावक	80	असुजा : 06 असुजजा : 02 अपिव : 22 सा : 50
3	दिव्यांगता की शीघ्र पहचान हेतु अभिभावक का प्रशिक्षण कार्यक्रम	16.10.15	आशा स्कूल दानापुर (कैंट) पटना	श्रवण बाधितजनों के अभिभावक	70	असुजा : 06 असुजजा : 01 अपिव : 50 सा : 13
4	संप्रेषण की कमी रोग से ग्रस्त बच्चों के अभिभावक का प्रशिक्षण कार्यक्रम	09.11.15	आशादीप फेयर फिल्ड कॉलोनी पटना	दिव्यांगजन एवं दृष्टि बाधितजन के अभिभावक	98	असुजा = 02 असुजजा – 01 अपिव = 54 सा = 41
5	श्रवण बाधितार्थ पर अभिभावक का प्रशिक्षण कार्यक्रम	23.11.15	एसएलआरपीएच आरआई जठुली फतुहा	दिव्यांगजन एवं श्रवण बाधितजन के अभिभावक	80	अपिव – 70 सा = 10
6	मानसिक मंद बच्चे/ बहु दिव्यांगजन के अभिभावक का प्रशिक्षण कार्यक्रम	24.11.15	एएमआरआई आदर्श कॉलोनी एनएमसीएचरोड अगुमकुंआ पटना	विकलांगजन, बहुविकलांग बच्चों के अभिभावक	81	असुजा –3 असुजजा –0 अपिव –45 सा –33
				कुल	**454**	

दिनांक–15/10/2015 को व्हाइट कैन दिवस के अवसर पर अभिभावकों का प्रशिक्षण एवं गतिशीलता कार्यक्रम का आयोजन–

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन इंटर कॉलेज, मुशहरी, पटना, बिहार के प्रधानाचार्य श्री एन.के. शर्मा ने पटना स्थित रेड क्रॉस भवन में किया। इस कार्यक्रम के अवसर पर राज्य स्तरीय प्रश्नोत्तरी(क्विज) प्रतियोगिता, ब्रेल लिपि में पढ़ने लिखने की प्रतियोगिता, गाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें दृष्टिबाधितार्थजन एवं उनके माता पिता तथा सीआरसी पटना के कर्मियों एवं छात्रों ने भाग लिया। कुल प्रतिभागी 80(40+40=80 दृष्टिबाधितार्थ एवं अभिभावक)

ब्रैल कौशल पर जगरुकता एवं सुग्राह्य कार्यक्रम

7. ख.3 जागरुकता एवं सुग्राह्य कार्यक्रम

क्रम. सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनांक	स्थान	लक्षित समूह	प्रतिभागियों की संख्या	अजा/ अजजा/ अपिव/ सा की संख्या
1	कौशल प्रशिक्षण के साथ दृष्टिबाधितजनों हेतु जागरुकता एवं सुग्राह्य कार्यक्रम	23.09.15	रेडक्रॉस भवन, पटना का सभागार	विशेष शिक्षक छात्र, पुनर्वास प्रशिक्षार्थी दिव्यांगजनों के अभिभावक	91	असुजा : 02 असुजजा : 0 अपिव : 35 सा : 54
2	ऑटिज्म हेतु जागरुकता एवं सुग्राह्य कार्यक्रम	21.12.15	विशिष्ट बच्चों हेतु उत्कर्ष विद्यालय	विशेष शिक्षक छात्र, पुनर्वास प्रशिक्षार्थी दिव्यांगजनों के अभिभावक	70	असुजा :05 असुजजा : 0 अपिव : 18 सा : 47
3	दिव्यांगता की शीघ्र पहचान पर जागरुकता एवं सुग्राह्य कार्यक्रम	28.01.16	जि.वि.पु.के. बेतीया	विशेष शिक्षक मनोचिकित्सक, छात्र, पुनर्वास प्रशिक्षार्थी दिव्यांगजनों के अभिभावक	150	असुजा=03 असुजजा=02 अपिव = 83 सा = 62
4	श्रवण बाधित बच्चों के अभिभावक हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	18.03.16	रेडक्रॉस भवन, पटना	श्रवण बाधितार्थी बच्चों के अभिभावक एवं दिव्यांजन	82	असुजा=06 असुजजा=03 अपिव = 57 सा = 16

क्रम. सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनांक	स्थान	लक्षित समूह	प्रतिभागियों की संख्या	अजा/ अजजा/ अपिव/ सा की संख्या
5	ब्रैल कौशल पर जागरुकता एवं सुग्राह्य कार्यक्रम	19.03.16	अन्तर्ज्योति बालिका विद्यालय पटना	विशेष शिक्षक, छात्र, पुनर्वास प्रशिक्षार्थी दिव्यांगजनों के अभिभावक	96	सा = 26 अपिव = 58 अनुजा = 10 अनुजजा = 02
6	श्रवण बाधितजन एवं मानसिक मंदताजन हेतु जागरुकता एवं सुग्राह्य कार्यक्रम	30.03.16	इसीओबीआईसी, गया	विशेष शिक्षक, छात्र, पुनर्वास प्रशिक्षार्थी दिव्यांगजनों के अभिभावक	83	अनुजा : 02 अनुजजा : 02 अपिव : 51 सा : 28
7	अस्थिजनित दिव्यांगजन के सहायक साधन एवं उपकरणों की देखभाल एवं अनुरक्षण पर जागरुकता एवं सुग्राह्य कार्यक्रम	31.03.16	रेडक्रॉस भवन पटना	दिव्यांगजन एवं विकलांग बच्चे	81	अनुजा :12 अनुजजा : 03 अपिव : 46 सा : 20
				कुल	**653**	

एक दिवसीय ब्रैल कौशल पर जागरुकता एवं सुग्राह्य कार्यक्रम- नेत्रहीन परिषद कुमाहार, पटना अधीन अन्तर्ज्योति बालिका विद्यालय में 19.03.2016 को प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन श्री जीतेन्द्र रावत, राज्य परामर्शक, दृष्टि बाधितजन यूनिसेफ बिहार ब्रांच ने किया जिसमें कुल प्रतिभागीजन 96 थे (43 दृष्टिबाधित बच्चे एवं उनके मातापिता तथा विद्यालय के सदस्यगण सहित 53 प्रतिभागी)।

ब्रैल कौशल पर जागरुकता एवं सुग्राह्य कार्यक्रम का उद्घाटन

ब्रैल कौशल पर जागरुकता एवं सुग्राह्य कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ वार्तालाप

8. एस ओ आर द्वारा की गई निरीक्षण/मॉनीटरिंग

कर्मी का नाम	निरीक्षण का स्थान	निरीक्षण का दिनांक	संस्थान का नाम जहाँ निरीक्षण की गई	कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना
श्री श्याम सुन्दर मिश्रा	नई दिल्ली	मई 2015	भा.पु.प	भा.पु.प. समिति की कोर बैठक
श्री श्याम सुन्दर मिश्रा	मुंबई	मई 2015	भा.पु.प	बी.एड, एम एड (दृष्टि.बा.) पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार करना
श्री श्याम सुन्दर मिश्रा	जामतारा (झारखण्ड)	15.06.2015		भ.पु.प.द्वारा बी.एड. एवं डी.एड. (दृष्टि बा.) का निरीक्षण
श्री पिन्टु कुमार	एस सी बी मेडिकल कॉलेज, कटक	03.07.2015	एस सी बी मेडिकल कॉलेज, कटक	डीएचएल पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए अनुसंशा दिया गया
श्री श्याम सुन्दर मिश्रा	फतुहा, पटना	06.07.2015	एस.एल.राय.फाउडेशन	डिएमएलएस, डिएड (एच.आई.) एवं डिएड (एम.आर) पाठ्यक्रम शुरुआत करने के लिए भा.पु.प.द्वारा निरीक्षण
श्री श्याम सुन्दर मिश्रा	कोलकाता	13.08.2015	विशेषज्ञ बैठक	जेड.सीसी बैठक
श्री जीतेन्द्र सिंह रावत	पटना		दृ. बा. शिक्षकों के प्रशिक्षण केन्द्र	डी.एड.(वी.आई) पाठ्यक्रम के आरंभ हेतु भा.पु.प द्वारा निरीक्षण
श्री जीतेन्द्र सिंह रावत	देवघर (झारखण्ड)		बच्चो से संबंधित	डी.एड.(वी.आई) पाठ्यक्रम के आरंभ हेतु भा.पु.प द्वारा निरीक्षण

9. सम्मेलन/कार्यशाला में भाग लिया गया

प्रतिभागी का नाम	कार्यशाला/सम्मेलन का नाम	दिनांक सहित अवधि	स्थान	भाग लिया या पेपर प्रस्तुत किया
श्री वी.वी.भारती	ओपई, 2016	12-14 फरवरी 2016	तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली	भाग लिया
श्री वी.वी.भारती	सस्टेनेबल एडूकेशन पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	27-28 फरवरी 2016	आईआईएफटी सभागार नई दिल्ली	भाग लिया

10. निम्नलिखित कर्मचारियों ने राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के साथ परामर्श का कार्य किया-

कर्मी का नाम	स्थान जँहा परामर्शदान किया गया	परामर्श का दिनांक
श्री वी.वी.भारती	रा.अ.वि.सं.कोलकाता	12.05.2015
श्री वी.वी.भारती	मंत्रालय दिल्ली	16.05.2015
श्री वी.वी.भारती	गया	16-27 जुलाई 2015

11. एडिप शिविर (2015-16)

क्रम. सं.	जिला का नाम	शिविर का स्थान	शिविर का दिनांक	विकलांगजन शामिल हुए	वितरित किये गये सहायक यंत्र व उपयंत्र
1	सहरसा	बीडीओ कार्यालय सिंहड्डा ब्लॉक	28.05.2015	240	204
2	सारण	बीडीओ कार्यालय, सदर ब्लॉक	10.08.2015	147	91
3	पटना	आइजीआईएमएसशेखपुरा के नजदीक	17.08.2015	395	134
4	बांका	नगर पंचायत भवन	24.08.2015	200	197
			कुल	**982**	**626**

12. मुख्यालय से सहायक यंत्रों एवं उपयंत्रों का वितरण

सहायक यंत्र व उपयंत्र	तिपहिया	व्हील चेयर	वैशाखी	बलने की छड़ी	एल्बो क्रैच	कृत्रिम अंग	कृत्रिम प्रत्यंग	श्रवण यंत्र	कर्ण साँचा	दृष्टिबाधितार्थ के लिए शैक्षणिक किट	न्यून दृष्टि हेतु सहायक यंत्र	अन्य यंत्र	कुल
कुल	246	15	33	13	06	29	46	32	17	14	0	0	431

13. सीआरसी पटना की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- सी आरसी पटना नोडल एजेंसी के रूप में अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधितार्थ संस्थान, मुम्बई, की केन्द्र स्तरीय मूल्यांकन की डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों का संचालन करता है ।
- दिनांक 18.01.2016 को वाराणसी में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक एडिप मेगा शिविर का आयोजन किया गया था जिसका उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, इस मेगा शिविर में सीआरसी पटना के वाक एवं श्रवण संकाय के सदस्य ने भाग लिया ।
- सी आरसी पटना में 04.01.2016 से 05.02.2016 तक पटना विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के अधीन इंस्टिच्यूट ऑफ साइकोलोजिकल रिसर्च एवं सर्विसेस के छात्रों को इंटर्नशीप कराई गई ।

14. अन्य प्रादेशिक कार्यक्रम जो सीआरसी पटना द्वारा मनाया गया निम्नलिखित है –

- सी आरसी पटना का स्थापना दिवस दिनांक 27.02.2016 को मनाया गया।
- विश्व विकलांग दिवस 03.12.15 को मनाया गया।
- बाल दिवस 14.11.2015 को मनाया गया।
- वर्ल्ड मेंटल हेल्थ दिवस 10.10.2015 को मनाया गया।
- व्हाइट केन दिवस 15.10.2015 को मनाया गया.
- शिक्षक दिवस 05.09.2015 को मनाया गया।
- हिन्दी दिवस 14.09.2015 को मनाया गया।
- विश्व ऑटिज्म दिवस 02.04.2015 को मनाया गया।

राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान

वी.टी. रोड़, बनहुगली, कोलकाता - 700 090

वार्षिक लेखा

2015-16

सत्यमेव जयते

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, कोलकाता
गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया प्रेस बिल्डिंग (इस्ट विंग), प्रथम तल
8, किरण शंकर रॉय रोड, कोलकाता - 700 001

Principal Director of Audit, Central, Kolkata
Government of India Press Building (East Wing), 1st Floor
8, Kiron Sankar Roy Road, Kolkata-700 001

D.O. No. OAII(AB)/AR/NIOH/2015-16/446
दिनांक: 22.11.2016

प्रिय श्री विश्वास,

मैंने राअविसं कोलकाता के वार्षिक लेखा का लेख परीक्षा वर्ष 2015-16 हेतु किया और दिनांक 22-11-2016 के पत्र के अनुसार उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी की है। लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियों को उल्लेख किया गया था लेकिन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया था। इन्हें सुधारात्मक और उपचारात्मक कार्रवाई के लिए आपके ध्यान में लाया जा रहा है।

1. संस्थान ने एपीएबीएक्स के वार्षिक अनुरक्षण शुल्क रू 0.28 लाख और वातानुकूलित गर्शान के वार्षिक अनुरक्षण शुल्क के संबंध में रू 0.63 लाख के पूर्व अवधि व्यय पर आय एवं व्यय खाते में रू 0.35 लाख रुपये का भुगतान किया है संस्थान को खातों के सामान्य स्वरूप के 'विस्तृत दिशानिर्देशों' के अनुसार अपने 'लेखा पर टिप्पणी' में अलग से पूर्व अवधि व्यय का खुलासा करना चाहिए था।
2. संस्थान ने वेतन और भत्ते के खाते में रू 422.46 लाख की राशि को योजना मद में दिखाया जबकि आय और व्यय खाते ने योजना गदो के तहत रू 422.00 लाख की राशि को दिखाया। इसके परिणामस्वरूप ०.४६ लाख की विसंगति हुई, जिसके लिए समायोजन होना चाहिए।

सादर
आपका विश्वासपात्र

22.11.16

डॉ. ए. विश्वास
निदेशक (स्थानापन)
राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान
बी.टी. रोड बनहुगली,
कोलकाता-700090.

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा का कार्यालय,
केन्द्रीय, कोलकाता

Indian Audit and Accounts Department
Office of the Principal Director of Audit
Central, Kolkata

D.O. No. OA II(AB)/AR/NIOH/2015-16/444
दिनांक: 22.11.2016

सेवा में,
सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार
विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग
5 वां तल, खण्ड – B–1, II, व III, पर्यावरण भवन
सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड
नई दिल्ली – 110003

विषय: राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता का वर्ष 2015-16 के लिए पृथक लेखा रिपोर्ट।

महोदय,

मैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक परीक्षक द्वारा जारी किये गये विहित प्रपत्र में 2015-16 वर्ष के लिए राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता का पृथक लेखा का परीक्षा रिपोर्ट भेज रहा हूँ। संस्थान की वर्ष 2015-16 की वार्षिक लेखा की एक प्रति भी इसके साथ संलग्न है।

कृपया इस कार्यालय के आवश्यक कार्य हेतु पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की दो प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी) में के साथ अनुच्छेद जैसा संसद में प्रस्तुत किया गया था, भेजी जायें।

कृपया संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने वाले लेखा का वर्ष 2011-12 एवं 2015-16 का लेखा-परीक्षा तथा पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्न अनुच्छेद को कार्यालय के आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाये।

आपका विश्वसनीय

22.11.16

संलग्नक : उपरोक्त वर्णित

(पी.के. सिंह)
प्रधान लेखा निदेशक
केन्द्रीय: कोलकाता

जी. आई. प्रेस बिल्डिंग, 8, किरण शंकर रॉय रोड (प्रथम तल), कोलकाता - 700 001
Govt. of India Press Building, 8, Kiron Sankar Roy Road, Kolkata-700 001

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा का कार्यालय,
केन्द्रीय, कोलकाता

Indian Audit and Accounts Department
Office of the Principal Director of Audit
Central, Kolkata

D.O. No. OA II(AB)/AR/NIOH/2015-16/445
दिनांक: 22.11.2016

वर्ष 2015-16 हेतु राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान के लिए अनुलग्नक सहित पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति निदेशक, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, बी.टी. रोड, बन हुगली, कोलकाता 700090 को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित की गई है।

कृपया अनुलग्नक सहित पृथक लेखा-परीक्षा के हिन्दी अनुकरण को तैयार कर तथा सीधे मंत्रालय को प्रेषित करने हेतु अपने स्तर पर व्यवस्था किया जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुलग्नक सहित पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सरकार को प्रेषित करने से पूर्व विचार एवं ग्रहण करने हेतु शीर्ष निकाय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो।

कृपया अनुलग्नक के साथ लेखा-परीक्षा तथा पृथक लेखा रिपोर्ट सहित वर्ष 2015-16 हेतु मुद्रित वार्षिक प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी) की दो प्रतियां, जैसा संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, के आवश्यक कार्यवाई हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया जाए।

संलग्नक : उपरोक्त वर्णित

उप निदेशक (आई.)

वर्ष 31 मार्च 2016 की समाप्ति पर राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता के लेखा-परीक्षा पर भारत के नियंत्रक तथा लेखा-परीक्षक पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन		
No.	**लेखा परिक्षा द्वारा अवलोकनार्थ**	**प्रबंधन द्वारा उत्तर**
1	हमने राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता का 31 मार्च 2016 तक का संलग्न तुलन-पत्र का लेखा-परीक्षा किया और लेखा-परीक्षक तथा (कार्य अधिकार तथ सेवा की शर्त) अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत उक्त दिनांक के वर्ष समाप्ति पर आय और व्यय का लेखा, पावती तथा देयता का लेखा संदर्भित किया है। यह लेखा-परीक्षा वर्ष 2017-18 तक के लिए प्रतिपादित किया गया है। इस वित्तीय विवरण के अंतर्गत संस्थान के दो क्षेत्रीय केन्द्र एजॉल तथा देहरादुन का लेखा निहित किया गया हैं। यह वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी केवल लेखा परीक्षा पर आधारित वित्तीय विवृत्ति के ऊपर विचार को दर्शाना है।	मंत्रालय के पत्रांक संख्या 22.10/2012 Nis दिनांक 07.09.2016 के अनुसार संस्थान के नाम को संशोधित किया गया है एवं नया नाम राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांजन संस्थान है।
2	इस पृथक सर्वोच्च लेखा-परीक्षा ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखों का वर्गीकरण, पुष्टीकरण सह सर्वोच्च लेखा पद्धति लेखा एवं मानक प्रकरण संबंधी विवरण इत्यादि समाविष्ट है। वित्तीय अंतरणों के लेखा परीक्षा समुचित से संबंधित कानून का अनुपालन नियन एवं विनियम (औचित्य तथा नियमितता) एवं कार्यकुशलता सह कार्य निष्पादन के पहलू इत्यादि है, उसे निरीक्षण प्रतिवेदन/नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पृथक लेखा-परीक्षा के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है।	तथ्य सत्यापित किये गये एवं तथ्यात्मक सही है।
3	भारत में सामान्यता: जो लेखा परीक्षा मान्य है हमने उसी के अनुसार अपना लेखा परीक्षा किया है इन मानकों को आवश्यकता है कि हमलोग जो लेखा-परीक्षा बनाते तथा पालन करते है कही उसमें कोई आर्थिक वर्णन गलत है या नहीं। लेखा-परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरण में परीक्षण जांच के आधार पर राशियों से संबंधित तथ्य एवं प्रकटन रहता है। लेखा -परीक्षा में उपयोग में लाये जा रहे निर्धारित लेखा निर्धारित लेखा निर्धारण एवं प्रबंधन द्वारा बनाये गये महत्वपूर्ण आकलन और साथ ही आर्थिक विवरण का सम्पूर्ण मूल्यांकन प्रस्तुतीकरण भी सम्मिलित है। हमें विश्वास है कि हमारा लेखा-परीक्षा हमारे मत के लिए उचित आधार प्रस्तुत करता है।	
4.	**लेखा-परीक्षा पर आधारित हम यह प्रतिपादित करते है कि-**	
	I. हमारे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक सूचना एवं स्पष्टीकरण हमने प्राप्त कर लिया है	
	ii. तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा जो इस रिपोर्ट से संबंधित है उसको वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए प्रारुप में तैयार किया गया है।	
	iv. हम यह भी प्रतिवेदित करते है कि	
	लेखा पर टिप्पणी	

अ	तुलन पत्र	
1.1	**संपत्तियाँ**	
1.1.1	**संस्थाओं को अग्रिम (अनुसूची 11 बी)–रू 1538.78 लाख**	केन्द्रीय लोक कार्मिक विभाग के सथ कई बार आवश्यक पत्राचार सामायोजन हेतु व्यय ब्यौरा प्रस्तुत करने, सौपने किये गये, लेकिन हमलोगो ने अभी तक कोई परिणाम प्राप्त नहें किया। इस बार यह निर्णय लिया गया है कि इसको कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के पास इसमें हस्तक्षेप हेतु अगामी कार्यकारिणी परिषद में रखा जायेगा। उपरोक्त जरुरी दस्तावेजो को प्राप्त करने के उपरांत राशि 307.49 रु 0 की आवश्यक सामायोजन की जायेगी एवं अगले वर्ष के लेखा परिक्षा में उसे दिखाया जायेगा तथा राशि 259.69 रु 0 को कार्य प्रगति के रुप में दिखाया जायेगा।
	रु. 307.49 लाख ऊपर मद की बची हुई अतिरिक्त राशि को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अग्रिम के रुप में भुगतान किया गया था, जो भवन निर्माण के कार्य से संबंधित था और जिसको केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा पुरा किया गया एवं भवन निर्माण कार्य जून 2015 तक पुरा करने के लिए प्रयोग करना था। लेकिन वर्ष 2015-16 में उपरोक्त कार्य के मूल्य को पंजीकृत नही किया गया वर्ष 2015-16 के खत्म होने तक भवन कार्य के मूल्य का गैर पूंजीकृत होने परिणाम स्वरुप रु. 307.49 लाख की अच्छल सम्पत्तियों की न्यूनोक्ति है। आगे उल्लेखित मदद केन्द्रीय लोक कार्य विभाग को अग्रिम राशि रु. 259.68 लाख के भुगतान के द्वारा अति विवरण हो गया। अभिलेखों के अनुसार राशि रु. 259.68 लाख का कार्य पहले ही शुरु कर दिया गया था। इस प्रकार यह राशि 'कार्य प्रगति पर है ' के लिए अंतरण किया गया जो इसके स्थान पर 'अग्रिम' के रुप में दिखाया जा रहा था। इस गलत प्रदर्शन के परिणाम स्वरुप निश्चित संपत्तियों (कार्य प्रगति पर है) का राशि रु. 259.68 लाख का वर्ष 2015-16 के अंत में आय विवरण हो गया। पिछले लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेख के बावजूद भी संस्थान ने किसी प्रकार की सुधारात्मक कार्रवाई नही की। उपरोक्त अनुच्छेद को शुद्ध प्रभाव राशि रु. 567.17 लाख के अग्रिम पुनः अति विवरण हो गया तथा निश्चित संपत्तियों एवं कार्य प्रगति पर हैं का राशि रु. 567.17 लाख के रुप में अन्य विवरण हो गया था।	
1.1.2	**वर्तमान संपति, ऋण, अग्रिम (अनुसूची 11–बी) रू 1660.75 लाख**	कुल बकाया राशि 13.44 लाख के बदले राशि 10.70 लाख को वर्ष 2014-15 के दौरान समायोजित किया गया है एवं शेष राशि 2.74 लाख अभी भी समायोजित करने के लिए है सामायोजित हो जायेगा एवं संबंधित फाइल लेखा परीक्षा के समक्ष रखा है। इस प्रकार यह सत्य नही है कि संस्थान ने इस संबंध में कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है। सीआरसी श्रीनगर से यूटिलाइजेशन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अनुरोध से संबंधित पत्राचार की फाइल को लेखा परीक्षा को दिखाया। उनके द्वारा यूटिलाइजेशन प्रमाणपत्र के प्राप्तियों के आधार पर आवश्यक समायोजन किय जायेग एवं लेखा परीक्षा के सत्यापन हेतु रखा है।
	सी.आर.सी. श्रीनगर ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय इन्स्टयूट ऑफ फिजिकल हैंडिकेप्ड, न्यू दिल्ली को धनराशि हस्तांतरण किया लेकिन खाते के अनुसूची 11 वीं में धनराशि 2.74 लाख को सी.आर.सी श्रीनगर से वसूल किये गये अग्रिम के रुप में दिखाया गया है पहले के ऑडिट रिपोर्टों में उल्लेख करने के बावजूद संस्थान ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नही की।	

ख.	आय एवं व्यय खाते	
2.1	**व्यय**	
2.1.1	**मूल्य-ह्रास (अनुसूची-8)- रू 121.53 लाख**	जरुरी दस्तावेज प्राप्त करने के उपरांत ही आवश्यक समायोजन किया जायेगा एवं अगले वर्ष लेखा परीक्षा के दिखाया जायेगा
	उपरोक्त मद के अधीन पूर्ण किये गये भवन मूल्य रु. 307.49 लाख का 10 प्रतिशत मूल्य ह्रास के दर से राशि रु. 30.75 लाख का आय विवरण हो गया है, एवं जून 2015 में प्रयोग करने के रखा जिस पर कोई चार्ज नही किया गया, इसके परिणाम स्वरुप 2015-16 के अन्त में र शि रु. 30.75 लाख के द्वारा आय के ऊपर अधिक व्यय का अति विवरण हो गया।	
2.1.2	**अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची – २१) रू 731.96 लाख**	
(i)	बीएसएनएल जीपीओएन के कनेक्सन 22 मई 2015 से 21 मई 2016 तक के अवधी के निश्चित वार्षिक चार्ज हेतु राशि रु. 1.2 लाख को उपरोक्त मद में शामिल किया गय। इसे वर्ष 2016-17 से संबंधित राशि रु. 18 लाख का व्यय शामिल है। इस व्यय को पेशगी किय हुआ। व्यय के रुप में समझा जाना चाहिए। राशि रु. 0.18 लाख के आय के ऊपर अधीक व्यय के अति विवरण परिणान स्वरुप पेशगी किया हुआ व्यय को प्रदर्शित किया गया।	भविष्य में दिशानिर्देश के उल्लेख के लिए ध्यान से अवलोकन किया गया है।
(ii)	वर्ष भर के लिए प्राप्त के रुप में वर्तमान संपत्ति में सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता र शि शीर्ष के अधीन संस्था ने दिखाया है जिसका पहले ही उपरोक्त मद के अधीन अल्प विवरण हो गया है। आर्थिक सहायता के वशुली को विलुप्त करने में प्राप्त धनराशि को बुरा एवं संदिग्ध ऋण के शीर्ष अधीन समझा जाना चाहिए। वर्ष 2015-16 के लिए राशि रु. 8.16 लाख का आय के ऊपर अधीक व्यय का आय विवरण हो गया जिसके परिणाम स्वरुप व्यय बुरा एवं संदिग्ध ऋण अशीर्ष के रुप में है।	हमलोगो ने कई बार डब्लू वी आर इ.डी.ए से सोलर स्ट्रीट एवं सोलर होम लाईट सिस्टेम को रा.ग.दि.सं. के केम्पॉस में लगाने हेतु राशि 8.16 लाख पर छूट के लिए दावा हेतु सम्पर्क किया गया है, लेकिन दुर्भाग्य बस उनके तरफ से कोई भी सकारात्मक परिणाम नही मिला। इसके परिणाम स्वरुप राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान के द्वारा रियायत की राशि अभी तक प्राप्त नही हुई। यधपि लेखा परिक्षा के परीमर्श के द्वार इस राशि को अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के रुप में उल्लेखित किया जायेगा।

2.2	**आय**	
2.2.1	**विक्रयों / सेवाये से आय (अनुसूची -12) रु. 79.97 लाख**	
	2015-16 के अवधि तक सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान के बाहर अचल संपत्ति के खरीद का लेखा जो मूल निधी से संबंधित वास्तविक मूल्य ह्रास उपरोक्त मद के अधीन बचे हुऐ राशि रु. 5.62 लाख का निकासी नही किया गया जो राशि मूलनिधी से नही निकाले जाने के फलस्वरुप अल्प विवरण हो गया जबकि एएस-12 के प्रावधान के अनुपालन में तत्कालिन वर्ष 2015-16 के दौरान संस्थान ने राशि 121.53 लाख के मूल्य ह्रास से संबंधित मूलधन निधी के राशि रु. 35.91 लाख का केवल निकासी की गई चीजो बाहर संपत्तियों के खरीद के लिए प्रदत्त की गई थी। कुछ ऐसे अप्रदर्शित आय के परिणाम स्वरुप वर्ष 2015-16 के अन्त तक राशि रु. 85.62 लाख (रु. 121.53 लाख रु. 35.91 लाख) के द्वारा आय के ऊपर अधीन व्यय का अतिविवरण हो गय है।	भविष्य में अनुपालन हेतु उल्लेख किया गया।
ग.	**सामान्य भविष्य निधि एवं अंशदायी भविष्य निधि**	
3.1	उपरोक्त कुल निवेश के रु. 560.78 लाख को तुलन पत्र के रुप में दिखाय गया है जिसमें संस्थान ने राशि रु. 242.11 लाख (43%) पंजाब नेशनल बैंक में निवेश किया था और राशि रु. 176.72 लाख (32%) को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं राशि रु. 141.95 लाख (25%) यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया में निवेश किया था। पिछले ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख होने के बावजूद संस्थान ने 14 अगस्त 2008 से प्रभावित वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रास्तावित प्रारुप का अनुपालन नही किया।	राशि 560.78 लाख का कर्मचारी भविष्य निधि निवेश इस निधि को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निवेश किया गया जिनका नाम संस्थान के सूची में दर्ज है जहाँ सरकारी दिशानिर्देश के अनुसार 55% निवेश किया जा सकता है। हालांकि वितमंत्रालय,भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये निवेश प्रारुप के अनुसार निधि के निवेश के लिए आवश्यक कार्रवाई जीपीएफ/सीपीएफ से संबंधित राजपत्र अधिसूचना के उपरांत ही होगी जो तथ्य पहले से ही मंत्रालय में रखा गया है।
3.2	वर्ष 2015-16 के प्राप्तियों एवं भविष्य निधि के भुगतान लेखा में सदस्यों की ओर से राशि रु. 85.61 लाख एवं रु. 7.11 लाख चंदा/सहयोगिता के रुप में प्रदर्शित किया गया जिसका संस्थान ने भविष्य निधि हेतु सामान्य भविष्य निधि एवं अंशदायी भविष्य निधि दोनों का अनुरक्षण किया गया था। पिछले ऑडिट रिपोर्ट में पुर्नउलेल्ख होने के बावजूद आय कर अधिनियम के अधीन छूट को योग्यता रखने के लिए राजपत्रित अधिसूचना के लिए आवश्यक मंत्रालय में विचाराधीन लंबित पड़े। मान्यता प्राप्त न होने के सुरत में सामान्य भविष्य निधि एवं अंशदायी भविष्य निधि के दायरे में आने वाले सब्सर्वाईवर एवं कन्ट्रीबुयूटर दोनो से संबंधित आयकर आधिनियम अधीन छूट के लिए योग्यता रखने वाले के लिए आदेश में नही था।	संस्थान ने सा.भ.नि./अ.भ.नि. से संबंधित तथ्य को राजपत्र अधिसूचना जारी करने के लिए मंत्रालय ले गया है राजपत्र अधिसूचना जारी करने से संबंधित पत्राचार फाइल को लेखा परीक्षा के समुख रखा है।

घ.	सामान्य	
4.1	तत्कालिक देयताएँ तथा प्रावधान मद (अनुसूची- 7) के अधीन प्रदर्शित किये गये निम्नलिखित देयताएँ के राशियों का वर्षवार विवरण को लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया क) आर्नेस्ट मनी डिपोजिट - रु. 13.15 लाख ख) कॉशन मनी - रु. 124.52 लाख ग) सिक्युरटी डिपोजिट - रु. 41.60 लाख	यह सत्य नही है कि वर्ष वार विवरणों का ब्यौरा उपलब्ध नही है जिसको लेखा परीक्षा के सम्मुख नही लाया गया था सुरक्षा जमा प्रतिदेय राशि एवं बयाना राशि को नगद खाता बही व्यक्तिगत खाता बही खाते के जर्नल वाउचर शेष-परीक्षा आदि से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाओं को इन माध्यमों से दिखाया गया है। वर्तमान एवं पिछले अभिलेखों के सत्यापन एवं मूल वाउचर के प्राप्ति के उपरांत ही संस्थान द्वारा भुगतान किया जा रहा है। संस्थान नें पहली बार लेखा परीक्षा के सदस्यों द्वारा वर्ष वार विवरण अभिलेखों को प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। इस संबंध में सन १९८२ से न ही उनके द्वारा कोई परामर्श मिला और न ही कोई छानबीन की गई। यहाँ तक की आंतरिक लेखा परीक्षक जो सी.ए.फार्म से नियुक्त किये गये उनके द्वारा भी वर्ष वार विवरण अभिलेख तैयार करने का भी परामर्श नही मिला। तथापि, ध्यानपूर्वक अवलोकन का उल्लेख किया गया एवं आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
4.2	अन्य निवेश (अनुसूची - 10) प्रदर्शित किये गये राशि रु. 499.88 लाख को बैंक में बहु वैकल्पिक जमा योजना में निवेश किया यद्दपि अनुसूची-11 के मोड़ खाता के वर्तमान संपत्ति के बदले निवेश से अर्जित आय को संस्थान ने सन्निहित नही किया।	ध्यानपूर्वक अवलोकन का उल्लेख किया गया एवं आवश्यक कदम उठाये गये तथा अगले वर्ष लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
4.3	अर्जित व्याज को उद्दीष्ट निधि के साथ सन्निहित नही किया गया लेकिन उद्दीष्ट/अक्षय निधि के एफडीआर के व्याज राशि रु. 0.10 लाख को प्राप्त नही किया गया। संस्थान ने पुरे व्याज के राशि रु. 0.10 लाख को आय लेखा (अनुसूची - ११वीं) में जमा किया था। इसके परिणाम स्वरूप आय के मुख्य लेखा का अति विवरण हो गया	भविष्य में अनुपालन हेतु उल्लेखित।

4.4	मार्च 2016 के लिए योजना निधि (खाता संख्या 35015297593) हेतु बैंक सामाधान विवरण के द्वारा 7 चेक जो राशि रु. 0.22 लाख था जिसको 19.12.2007 से 21.09.2015 के मध्य बैंक में जमा किया गया था, खुलाशा हुआ लेकिन 31.03.2016 के अंततक संस्थान के खाते में जमा नही किया गया था। दूसरे परिणाम स्वरुप बैंक के द्वारा राशि रु. 0.22 लाख के नगद व्या आय विवरण हो गया। आगे राशि रु. 0.16 लाख के चेक (चेक संख्या - 603694 दिनांक 23/03/2015) को योजनागद के अधीन खाते में दुबारा लिखा नही गया और उस पर रोक लगा दी गई।	भारतीय स्टेट बैंक के समक्ष तथ्य को रखा गया है एवं भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त सूचना के उपरांत आवश्यक इंट्री की जायेगी।
F	**सहायता अनुदान**	
	संस्थान मुख्य भारत सरकार के वित्तीय सहायता अनुदान से चलता है वर्ष 2015-16 के दौरान संस्थान ने कुल सहायता अनुदान राशि रु. 2447.50 लाख (योजना अनुदान राशि रु. 1685.00 एवं गैर योजना अनुदान राशि रु. 762.50 लाख) प्राप्त किया। वर्ष 2015-16 के अंत तक कुल अनुदान राशि रु. 2447.50 लाख में से संस्थान ने राशि रु. 2130.82 लाख (योजना अनुदान राशि रु. 1205.39 लाख एवं गैर योजना अनुदान राशि रु. 925.43 लाख) का उपयोग किया। इसके आलावे नहीं उपयोग किये गये राशि रु. 316.68 लाख (योजना सहायता राशि रु. 479.61 लाख एवं गैर योजना सहायता राशि रु. (-) 162.93 लाख) शेष है। संस्थान ने कुल सहायता अनुदान की राशि रु. 345.19 लाख प्राप्त की थी जो दिव्यांगजनों हेतु सहायता मद (एडिप) हेतु राशि रु. 200.00 लाख तथा दिव्यांगजनों के क्रियान्वयन हेतु योजना अधिनियम अर्थात स्किम फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ परसन विद डिजाब्लीटीज एक्ट (एसआइपीडीए) के लिए राशि के लिए राशि रु. 145.19 लाख एवं एडिपमद के अधीन के नाम राशि रु. 149.32 लाख खर्च किया गया था तथा एस आई पी टी ए मद अधीन कोई व्यय नही किया गया था जिसके कारण शेष बचत राशि रु. 195.87 लाख है।	तथ्य सत्यापित किया गया एवं तथ्यात्मकता सही है। तथ्य सत्यापित किया गया एवं तथ्यात्मकता सही है, हालांकि संस्थान द्वारा उपयोग किये निधि के रुप में एवं तथ्य के अभाव में लेखा परीक्षा के द्वारा उल्लेखित किया गया है कि डिपोजिट कार्य, संस्थान को अग्रिम तथा कर्मियों को अग्रिमों जो 31.03.2016 तक सामायोजित नही किया गया, जिसको लेखा परीक्षा ने उपयोग किये हुये के रुप में नही माना में अंतर दिखाया गया है। कृपा इसे उपयोग किये गये राशि के रुप में समझे।
	आगे संस्थान ने सीआरसी पटना हेतु भी राशि रु. 162.87 लाख की सहायता अनुदान प्राप्त की जिसमें एडिप के लिए (रु. 46.00 लाख) तथा एसआईपीडीए रु. 11.50 लाख) है। सीआरसी पटना ने अपने कुल निधि में से राशि रु. 150.96 लाख का उपयोग किया तथा शेष बचत राशि रु. 11.54 लाख है	तथ्य सत्यापित किया गया एवं तथ्यात्मकता सही है।
F	**शुद्ध प्रभाव**	
	मार्च 2016 के अन्त में पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में की गयी टिप्पणी का शुद्ध के द्वारा रू. 46.89 लाख आय के उपर अधिक व्यय का अति विवरण हो गया था।	कोई टिप्पणी नही।
F	**प्रबंधन-पत्र**	
	जो कमियाँ इस लेखा-परीक्षा में समाविष्ट नही की गई है उन्हें अलग से जारी त्रुटि निवारक प्रबंधन-पत्र के माध्यम से संस्थान के ध्यान में लायी गई है।	आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई लेखा परीक्षा द्वारा सुझाव के अनुरुप की जायेगी।
V	पुर्ववर्ती अनुच्छेदों में सगुचित के विषय में हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा तथा पावर्ती एवं भुगतान खाता लेखा की बहियों के साथ सहमति दर्शाते हैं।	

VI	हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध कराये गये सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर उपरोक्त वित्तीय विवरण का पठन लेखा नीतियों लेखा पर टिप्पणी सहित किया जाये एवं उपरोक्त विनिर्दिष्ट विषय जिसे इस लेखा-परीक्षा के अनुलग्नक में उल्लिखित किया गया है वह भारत वर्ष में स्वीकृत सिद्धांतों और नियमों के अनुसार सही एवं स्वच्छ कार्य व्यापार को दर्शाता है।	
	क. 31 मार्च 2016 तक राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता के कार्य व्यापार के तुलन-पत्र से संबंधित है।	
	ख. जहाँ तक समाप्ति वर्ष के उस तारीख तक के लिए घाटे के आय और व्यय लेखा से यह संबंधित है।	

कृते भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक

22.11.16

पी.के.सिंह
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
केन्द्रीय: कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक-22.11.2016

अनुलग्नक

अ. आन्तरिक लेखा-पद्धति की पर्याप्तता

निम्नलिखित कारणों के वजह से आन्तरिक लेखा-पद्धति की पर्याप्तता है :

1. संस्थान का न तो अपना आन्तरिक लेखा-परीक्षा पद्धति है। यद्यपि एक सीए संस्थान के द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा का आयोजन किया गया।
2. प्रयोग मे न ही आन्तरिक लेखा-परीक्षा मैनुअल है एवं न ही कोई लेखा परीक्षा प्रतिवेदन बनाया गया।

आ. आन्तरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता

निम्नलिखित क्षेत्र मे आन्तरिक नियत्रग पद्धति की पर्याप्तता है :

1. संस्थान में कोई लेखा ननुअल नही था।
2. पार्टियों/केन्द्रीय लोक कार्य विभाग को हुये अग्रिम भुगतान का लम्बे समय से समायोजना नही किया गया था।
3. संस्थान ने इ.एम.डी के लिए बकाया देनदारियों, सुरक्षा जमा तथा कॉशनमनी के रजिस्ट्रो को नही बनाया था।
4. संस्थान ने समय-समय पर भुगतान किये जा रहे चेको की जाँच नही की।
5. संबंधित बैंक से बैंक नगद राशि/निश्चित जमा राशि का पुष्टिकरण नही किया गया और नही निकाला गया।

इ. संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की पद्धति

1. संस्थान ने पुस्तकालय कुल किताबों एवं जर्नल्सों के परिग्रहण रजिस्टर का प्रगतिशील अभिलेख नही बनाया। इस प्रकार पुस्तकालय के किताबों एवं जर्नल्सो के मुल्य के सटिकता रुप में राशि (रु. 2.78 करोड़) दिखाया गया है लेखा वर्ष 2015-16 के मुल दस्तावेजों के साथ मेल सत्यापित नही होता है।
2. संस्थान ने निश्चित संपत्तियों के रजिस्ट्रारों का अनुरक्षण नही किया था। संपत्तियों रजिस्ट्रारो के अनुपस्थिति में अनुसूची-8 में दिखाये गये निश्चित संम्पत्तियों के मूल्य राशि (रु. 21.30 करोड़) को लेखा परीक्षा द्वारा सत्यापित नही किया गया। आगे वर्ष 2015-16 में भौतिक सत्यापन का आयोजन नही किया गया। भौतिक सत्यापन के अभाव में संपत्तियों की उपस्थिति तथा स्थिति को लेखा परीक्षा द्वारा सत्यापित नही किया गया।

ई. सांविधिक देयता : संस्थान द्वारा नियमित रुप सांविधिक राशि देय है।

31 मार्च 2016 के तुलन पत्र

कार्पल/मूलधन निधि तथा देयता	सूची	2015-16 राशि (रु.)	2014-15 राशि (रु.)
मूलधन/निधि (योजना/गैर-योजना)	1	(5,34,70,052.21)	(2,47,36,892.59)
आरक्षित तथा अधिशेष	2	-	-
उद्दीष्ट/अक्षय निधि	3	2,40,76,645.77	1,09,53,673.77
प्रतिभूत ऋण एवं देयता	4	-	-
अप्रतिभूत ऋण एवं देयता	5	10,17,585.00	59,79,976.00
आस्थगित उधार देयता	6	-	-
चालू देयता तथा उपबंध	7	34,97,88,495.86	27,47,33,394.86
कुल		32,14,12,674.42	26,69,30,152.04
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	8	5,95,50,057.96	6,21,20,944.96
उद्दीष्ट/अक्षय निधि में निवेश	9	1,27,50,000.00	30,50,000.00
निवेश-अन्य	10	4,99,88,519.00	1,49,48,977.00
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	11	19,91,24,097.46	18,68,10,230.08
विविध व्यय		-	-
(विस्तृत लिखित/समायोजित)			
कुल		32,14,12,674.42	26,69,30,152.04
		- 0.00	-
महत्वपूर्ण लेखांकन नितिये	24		
आकस्मिक देनदारी एवं लेखा पर टिप्पणी	25		

स्थान - कोलकाता
दिनांक:-24-6-2016

लेखाकार | **लेखा अधिकारी** | **निदेशक (स्थाना.)**

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय लेखा

आय	सूची	2015-16 राशि (रु.)	2014-15 राशि (रु.)
विक्रय/सेवाओं से आय	12	79,96,770.00	49,76,324.00
अनुदान आर्थिक सहायता	13	23,65,17,034.00	19,84,19,261.00
शुल्क/अधिदान	14	99,72,146.00	81,43,521.00
निवेश से आय (उद्दीष्ट/अक्षय निधि से आय, निधि का निधि में अंतरण)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	16	-	-
अर्जित व्याय	17	40,26,417.96	41,17,389.00
अन्य आय	18	-	-
तैयार माल के स्टॉक तथा कार्य प्रगति में वृद्धि/कमी	19	-	-
कुल (क)		25,85,12,367.96	21,56,56,495.00
व्यय			
स्थापना पर व्यय	20	21,04,69,347.60	15,06,53,755.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	7,13,96,041.98	5,21,58,596.40
अनुदान आर्थिक सहायताओं इत्यादि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	-	-
अवक्षयण (सूची 8 अनुसार वर्ष की समाप्ति पर कुल बिल)		1,21,52,667.00	1,10,70,313.00
कुल (ख)		29,40,18,056.58	21,38,82,664.40
(ख-क) आय पर अधिक व्यय का शेष)		(3,55,05,688.62)	17,73,830.60
विशेष चयन में अंतरण (विनिर्दिष्ट)		-	-
सामान्य संचयन से/को अंतरण		-	-
शेष का अधिशेष/(घाटा) कार्पस/मूलधन निधि को अग्रेनित		-3,55,05,688.62	17,73,830.60
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	24		
आकस्मिक देनदारी एवं लेख पर टिप्पणी	25		

लेखाकार　　लेखा अधिकारी　　निदेशक (स्थाना.)

31 मार्च 2016 के तुलन पत्र के रूप मे अनुसूचिया

अनुसूची-1 कार्पस/मूलधन निधि : -	2015-16		2014-15	
योजना	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
वर्ष के प्रारंभ से बचत राशि	18,19,96,936.41		15,25,12,988.53	
समायोजन अधिक / (कम)	(26,76,352.00)		(33,33,083.72)	
	17,93,20,584.41		14,91,79,904.81	
अधिक मूलधन	96,32,966.00		68,30,739.00	
	18,89,53,550.41		15,60,10,643.81	
	4,45,75,519.02		2,59,86,292.60	
व्यय पर अतिरिक्त आय का जोड़	-	23,35,29,069.43	-	18,19,96,936.41
गैर-योजना	(20,67,33,829.00)		(17,77,90,752.37)	
वर्ष के प्रारंभ से बचत राशि	87,623.00		(47,30,614.63)	
समायोजन अधिक / (कम)	(20,66,46,206.00)		(18,25,21,367.00)	
	(2,71,708.00)			
भा.पु.प. से अधिक राशि का अंतरण	(8,00,81,207.64)	(28,69,99,121.64)	(2,42,12,462.00)	(20,67,33,829.00)
व्यय पर अतिरिक्त आय का जोड़				
वर्ष के अंत मे बचत राशि		(5,34,70,052.21)		(2,47,36,892.59)

लेखाकार | **लेखा अधिकारी** | **निदेशक (स्थाना.)**

31 मार्च 2016 के तुलन पत्र के रूप मे अनुसूचिया

अनुसूची-२ आरक्षित एवं अनारक्षित	2015-16		2014-15	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
1. आरक्षित मूलधन				
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	-	-
वर्ष के दौरान कम कटौती	-	-	-	-
	-	-	-	-
2. आरक्षित मूलधन का पुनः मूल्यांकन				
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	-	-
वर्ष के दौरान कम कटौती	-	-	-	-
3. विशेष आरक्षित मूलधन				
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	-	-
वर्ष के दौरान कम कटौती	-	-	-	-
4. सामान्य आरक्षित मूलधन				
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	-	-
वर्ष के दौरान कम कटौती	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

लेखाकार लेखा अधिकारी निदेशक (स्थाना.)